शिक्षा की प्रगति

प्राथमिक शिक्षा
एवं
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
उत्तर प्रदेश

2007-2008

NUEPA DC
D14480

शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

370.6
UTT-UP

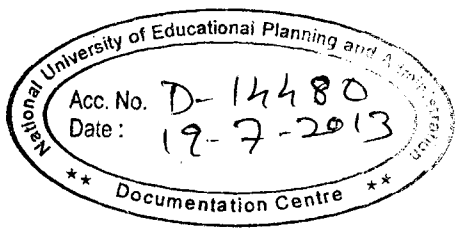
National University of Educational Planning and Administration
Acc. No. D-14480
Date: 19-7-2013
Documentation Centre

विषय-सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य पर्यवेक्षण	1–5
2.	प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शिक्षा	6–13
3.	सर्व शिक्षा अभियान	14–21
4.	साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा	22–35
	अ. शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा	
	ब. सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	
5.	मध्यान्ह भोजन योजना	36–39
6.	राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्	40–64
7.	राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट)	65–77

तालिकाओं की सूची

1.	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या	78
2.	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं की संख्या	78
3.	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या	79
4.	30 सितम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार जनपदवार/ मण्डलवार प्राथमिक विद्यालयों, विद्यार्थियों, एवं अध्यापकों की संख्या	80–83
5.	30 सितम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार जनपदवार/ मण्डलवार उच्च प्राथमिक विद्यालयों,, विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्या	84–87
6.	प्राथमिक शिक्षा के अर्न्तगत पदों की स्थिति	88–93

अध्याय–1
सामान्य पर्यवेक्षण

1. विभाग का अभ्युदय तथा विकास

शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का प्रमुख साधन है। शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को वास्तविक गति प्रदान कर सकते हैं। प्राचीन शिक्षा की पद्धति गुरूकुल प्रणाली में निहित थी। कालान्तर में मंदिरों, मठों एवं मस्जिदों में शिक्षा का विकास कार्यक्रम चलता रहा। भारत की आजादी के पूर्व ब्रिटिश शासकों ने सन् 1858 में म्योर सेन्ट्रल कालेज, इलाहाबाद के अन्तर्गत शिक्षा की व्यवस्था प्रारम्भ की जिसमें प्राथमिक स्तर से विद्यालयों की शिक्षा का संचालन करने का अधिकार था।

सेडलर कमीशन सन् 1917 के संस्तुतियों के आधार पर विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा से अलग किया गया। माध्यमिक तक की शिक्षा की व्यवस्था के लिए माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 प्रकाशित व प्रभावित किया गया। इसी तारतम्य में राजाज्ञा संख्या 214/2–2 दिनांक 31 मार्च, 1923 द्वारा म्योर सेन्ट्रल कालेज, इलाहाबाद में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को छोड़कर शेष की शिक्षा इससे अलग करके माध्यमिक स्तर की शिक्षा हेतु "डायरेक्टर उत्तर प्रदेश शासन" के शिक्षा विभाग के साथ अभिलिखित किया गया। अप्रैल 1939 में शिक्षा विभाग को सचिवालय से पृथक कर उसे उत्तर प्रदेश का एक अलग विभाग बनाया गया। राजाज्ञा संख्या 3436/15–263–46 दिनांक 26 जून 1947 द्वारा **"डायरेक्टर आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सन"** का नाम बदल कर "डायरेक्टर आफ एजूकेशन" और बाद में शिक्षा निदेशक किया गया।

वर्ष 1972 तक उपर्युक्त व्यवस्था के अन्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा, निदेशक उत्तर प्रदेश के नियंत्रण, निदेशन एवं प्रशासन के अधीन थी। शिक्षा के बढ़ते कार्यों, विद्यालयों एवं नये–नये प्रयोगों के कुशल संचालन के कार्यक्रम को अधिक गतिशील एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1972 में शिक्षा निदेशालय के विभाजन का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया जिसके अनुसार विभाजन करके शिक्षा का

165 शिक्षा 1

प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर तथा प्रशिक्षण तीन खण्डों में किया गया जिसके अलग–अलग निदेशक बनाये गये और पृथक बेसिक शिक्षा निदेशक बनाये गये। बेसिक शिक्षा को अधिक प्रभावी एवं गतिशील बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1985 में पृथक बेसिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। प्रशिक्षण एवं शोध कार्यक्रमों एवं उर्दू तथा प्राच्य भाषा को अधिक गतिशील व प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अलग–अलग निदेशालय स्थापित किये गये।

जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का विशालतम प्रदेश है। शिक्षा जगत की व्यापक व्यवस्था के अनुरूप कार्य सम्पादन में सुविधा की दृष्टि से पूरे प्रदेश में प्रशासनिक कार्य सम्पादन के निमित्त 12 मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) के कार्यालय हैं जो समस्त प्रदेश का कार्य देखते हैं। जनपदीय स्तर पर प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था एवं नियंत्रण हेतु प्रदेश के जनपदों में एक–एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय स्थापित किये गये हैं। साथ ही विकास खण्ड स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना की गई है जो विकास खण्ड स्तर पर शिक्षा का मार्ग दर्शन एवं मूल्यांकन सुनिश्चित करते हैं।

जनगणना 2001 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या 166197921 है जिसमें 87565369 पुरूष एवं 78632552 महिलायें हैं। कुल साक्षरता 56.3 प्रतिशत हैं जबकि पुरूषों एवं महिलाओं की साक्षरता क्रमशः 68.8 एवं 42.2 प्रतिशत है जबकि भारत देश में साक्षरता 64.80 प्रतिशत है जिसमें पुरूषों की साक्षरता 75.28 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता 53.67 प्रतिशत है।

2. खेलकूद एवं युवक कल्याण

छात्र–छात्राओं की शिक्षा के साथ समुचित सामाजिकता एवं स्वस्थ नागरिकता का प्रशिक्षण देना और उनके शरीर को हृष्ट–पुष्ट बनाना तथा उन्हें शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर स्वस्थ्य बनाये रखने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है। इसके अन्तर्गत छात्र–छात्रा खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए व्यायाम शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। विजेताओं को छात्रवृत्तियाँ देना,

राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान में विद्यालयों में पाठ्य सहगामी सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालचर योजना का विस्तार, "अपना देश, अपना प्रदेश जागो" आदि योजनायें सम्मिलित हैं। विद्यालयों में खेल–कूद एवं अन्य शिक्षणेत्तर कार्यक्रम की प्रोन्नति हेतु राज्य विद्यालय क्रीडा संस्थान, फैजाबाद की स्थापना की गयी है।

3. शैक्षिक शोध अध्यापक प्रशिक्षण

शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन एवं अनुसंधान को विशिष्ट गति देने हेतु वर्ष 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की स्थापना की गयी। इस प्रक्रिया में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की संस्थाओं के अध्यापकों की सेवाकालीन शैक्षिक सुविधाओं को विस्तृत एवं व्यापक बनाना तथा वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समुन्नत कराना सम्मिलित है।

4. मृत/अवकाश प्राप्त अध्यापकों की कल्याण योजना

1. मृत, अवकाश प्राप्त एवं कार्यरत अध्यापकों के अध्ययनरत विकलांग बच्चों को एक शैक्षिक सत्र के लिए निम्नांकित दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है–

1. कक्षा 3 से 8 तक	रू0 350.00 एक मुश्त
2. कक्षा 9 से 10 तक	रू0 800.00 एक मुश्त
3. कक्षा 11 से 12 तक	रू0 800.00 एक मुश्त
4. स्नातक/स्नातकोत्तर/सी0टी0/एल0टी0 /एम0बी0बी0एस0/टेक्निकल आदि	रू0 1000.00 एक मुश्त

2. मृत अध्यापकों के आश्रितों जिनका कोई बालिग पुत्र रोजगार करने योग्य न हो तथा अवकाश प्राप्त अध्यापक जिनकी मासिक पेंशन की धनराशि 500 रूपये से अधिक न हो, को भरण–पोषण हेतु 150 रूपये मासिक दर से कम–से–कम एक वर्ष तथा अधिक से अधिक 5 वर्ष तक दी जाती हैं।

3. मृत अध्यापकों तथा ऐसे अवकाश प्राप्त अध्यापकों जिनकी वार्षिक आय मूल वेतन के आधार पर रूपये तीस हजार मात्र से अधिक न हो, की पुत्री जिनकी आयु 18 वर्ष से कम न हो, की शादी हेतु रू0 4000 या रू0 5000 तक एक मुश्त धनराशि स्वीकृत की जाती है।

4. मृत अध्यापकों के आश्रितों, अवकाश प्राप्त एवं कार्यरत अध्यापकों को जिसकी वार्षिक आय मूल वेतन के आधार पर 30,000 रूपया (रूपया तीस हजार मात्र) से अधिक न हो, स्वयं की अथवा उनके आश्रितों को चिकित्सा हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त अथवा अन्य डाक्टरों द्वारा दिये गये प्रमाण–पत्र पर जो मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो, प्रमाण पत्र में अंकित बीमारी की गम्भीरता को देखते हुए रू0 750 से रू0 5000 मात्र एक मुश्त धनराशि स्वीकृत की जाती है।

उक्त नियमों के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन--पत्रों को आर्थिक सहायता स्वीकृत करने हेतु एतद् गठित समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है तथा समिति के अनुमोदनोपरान्त सहायता स्वीकृत की जाती है। अपूर्ण अथवा नियमान्तर्गत न प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिये जाते हैं।

5. अनुसूचित जाति सब प्लान

समाज के विकास में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु योजना में विशेष प्रयास किया गया है। इसके लिए अनुसूचित जाति की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं तथा उनके लिए प्रोत्साहन योजनायें चलायी जा रही हैं।

6. अध्यापकों को राज्य पुरस्कार

वर्ष 1950 से भारत सरकार द्वारा अध्यापकों को विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की योजना प्रारम्भ हुई। इस योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष

प्रदेश में चुने हुए प्राथमिक एवं उच प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाता है। वर्ष 1985 से प्रदेश स्तर पर ऐसे शिक्षकों को राज्य पुरस्कार प्रदान करना आरम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत चुने हुए अध्यापकों को 2000.00 रूपये नगद, एक ऊनी शाल, मेडल और प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अध्यापकों को दो वर्षो की सेवा विस्तारण तथा एक अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने का भी प्राविधान है।

शासनादेश संख्या मा0 81/15–11–2004–1499(52)/2004 दिनांक 08 जुलाई 2004 द्वारा राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों/अध्यापिकाओं को वर्तमान में दी जाने वाली पुरस्कार रू0 2000/– (रू0 दो हजार मात्र) की धनराशि को बढ़ाकर रू0 10000/– (रू0 दस हजार मात्र) किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है जो वित्तीय वर्ष 2004–05 से प्रभावी है।

शासनादेश संख्या 886/15–11–2005–5(7)/2004 दिनांक 23.09.2005 द्वारा राष्ट्रीय/राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों को राज्य परिवहन निगम की बसों में प्रतिवर्ष 1000 कि0मी0 तक की निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।

अध्याय–2
प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा

संविधान के अनुच्छेद–45 में राज्य नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत यह व्यवस्था बनाई गयी थी कि संविधान को अंगीकृत करके 10 वर्षों के अन्दर 6–14 वय वर्ग के सभी बालक/बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी किन्तु 56 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। यह ठीक है कि 1986 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी तब से लेकर अब तक शिक्षा विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। वैसे हर पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। केन्द्र एवं राज्यों ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के सर्व–सुलभीकरण और सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान अपनाया है। यह अभियान क्रान्तिकारी है। इस अभियान के अन्तर्गत सभी बच्चे स्कूलों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में होंगे। लक्ष्य यह भी है कि 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चे पाँच वर्षों की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर लें तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि 2010 तक ऐसी स्थिति आ जाये कि जो बच्चे स्कूल जाने लगे वे स्कूल जाना बन्द न कर दें।

सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता थी, जिसके लिए भारतीय संविधान का 93वाँ संशोधन विधेयक संसद में पारित कर दिया है और इसके साथ ही एक ऐसी क्रान्तिकारी व्यवस्था का सूत्रपात हुआ जिसके तहत 6–14 वय वर्ग के बालक/बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था करना राज्य सरकार का कर्तव्य हो गया।

राज्य सरकार द्वारा 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए कार्यक्रमों का निर्धारण कर अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया गया है। जहाँ वर्ष 1950–51 में 34833 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2875260 बच्चे अध्ययन कर रहे थे वहीं उनकी संख्या 2007–08 से 191749 विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की संख्या 36262890 तक पहुँच जाने का

लक्ष्य है। इसी प्रकार वर्ष 1950–51 में 84804 अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहे थे वही उनकी संख्या 2007–08 में 447516 है।

शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को सामने रखते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1996 में प्रत्येक 300 आबादी और 1.5 किमी0 की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की सुविधा न उपलब्ध होने पर एक प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराने एवं 3 किमी0 की दूरी तथा 800 आबादी पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का मानक निर्धारित करते हुए एक त्वरित सर्वेक्षण कराया गया था। जनपदों में सर्वेक्षण के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृतियॉ राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी हैं। वर्तमान में शासनादेश संख्या–20/79–5–2006–198/2005 दिनांक 02.02.2006 द्वारा नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना में 1.5 किमी0 की दूरी के स्थान पर 1 किमी0 तथा नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु 3 किमी0 के स्थान पर 2 किमी0 दूरी निर्धारित की गई है।

प्रदेश में 6–14 वय वर्ग तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के कार्यक्रम को सर्वाधिक वरीयता प्रदान की गयी है। इस हेतु शिक्षा के वार्षिक बजट का अधिकांश भाग इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर व्यय करने का उद्देश्य है।

शिक्षा कार्य में किन्हीं कारणों से उत्पन्न ह्रास एवं अवरोध को समाप्त करने के लिए वर्तमान में पूर्ववर्ती कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावोत्पादक एवं उपयोगी बनाने हेतु विद्यालयों की धारणा क्षमता में अभिवृद्धि की जानी है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गो के बालक/बालिकाओं को विद्यालयों में प्रवेश दिलाने में विशेष बल दिया जाता है।

कक्षा 1 से 5 तक के सभी वर्ग के शिक्षार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं कक्षा 6 से 8 तक के सभी शिक्षार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की व्यवस्था है। इसके साथ ही साथ मध्यान्ह पोषाहार तथा छात्रवृत्तियों की अधिकाधिक व्यवस्था की जाती है।

शिक्षा के परिवेश में सुधार हेतु नये भवनों के निर्माण के साथ–साथ पुराने भवनों में सुधार तथा अन्य आवश्यक उपकरणों/शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था की जाती है।

गत सर्वेक्षण के आधार पर ही वरीयता क्रम में नये विद्यालय खोले जाते हैं।

शिक्षा मित्र योजना

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानकानुसार छात्र अनुपात को बनाये रखने एवं ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा जगत की सेवा का अवसर उपलब्ध कराने हेतु उन्हें प्रेरित करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2000–2001 में प्रारम्भ किया गया। उक्त योजना वर्ष 2006–07 से नगर क्षेत्रों में भी लागू की गयी है।

बेसिक शिक्षा परियोजना एवं बेसिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत कुल स्वीकृत 19865 शिक्षा मित्रों के सापेक्ष 17911 शिक्षा मित्र शिक्षण कार्य कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति/नगर वार्ड समिति द्वारा संस्तुति/प्रस्ताव करने के उपरान्त जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् किया जाता है।

चयनित शिक्षा मित्रों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 30 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षणोपरान्त सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र को ग्राम पंचायत के अधीन जिस विद्यालय हेतु चयनित किया गया है, में शिक्षण कार्य करने की अनुमति प्रदान करती हैं। चयनित शिक्षा मित्र का कार्यकाल चालू शिक्षा सत्र के माह मई के अन्तिम कार्य दिवस को स्वतः समाप्त हो जाता है तथा उसके कार्य, व्यवहार एवं आचरण से सन्तुष्ट होने के उपरान्त सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति पुनः अगले शिक्षा सत्र में शिक्षण कार्य करने की संस्तुति करते हुए जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रेषित करती है जिसकी अनुमति के पश्चात सम्बन्धित शिक्षा मित्र की पुनः जनपद के डायट में 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त शिक्षण कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

चयनित शिक्षा मित्र को प्रथम 30 दिवसीय प्रशिक्षण अवधि में रू0 400/– एवं 15 दिवसीय प्रशिक्षण पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण अवधि में रू0 750/– तथा शिक्षण अवधि में रूपये 3000/– प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जाता है। शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण एवं मानदेय के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में रूपये 4900.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष शासन द्वारा रूपये 4900.00 लाख की संस्तुति निर्गत की गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 में भी रूपये 4900.00 लाख का बजट प्राविधान है तथा दो किश्तों में उक्त धनराशि का आवंटन किया जा चुका है।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भवन निर्माण

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण हेतु जनपदों में आवश्यकतानुसार (जिला योजनान्तर्गत) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण कराया जाता है। शासन द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण हेतु रूपये 24.65 लाख की निर्माण लागत निर्धारित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में रूपये 201.87 लाख का बजट प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष शासन द्वारा रूपये–201.87 लाख की धनराशि निर्गत की गयी। इस धनराशि से 06 नवीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय निर्मित कराये जाने की कार्यवाही की जा चुकी है तथा पूर्व वर्षो के 06 अधूरे कार्यालय भवनों के पूर्ण कराने की कार्यवाही की गयी है। वर्ष 2007–08 में रूपये 110.06 लाख की धनराशि का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवन के निर्माण हेतु बजट प्राविधान है जिसमें से जनपद बरेली एवं महराजगंज में जिला बेसिक शिक्षा, अधिकारी कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु रूपये 49.30 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जो जनपदों को आवंटित की गयी है तथा अधूरे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु रूपये 40.06 लाख की धनराशि की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी है जिससे अधूरे निर्माण कार्यो को पूर्ण कराया जा रहा है।

सघन क्षेत्रीय विकास योजना

भारत सरकार द्वारा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जनपदों के वे ब्लॉक जहाँ की जनसंख्या 20 प्रतिशत या उससे अधिक अल्पसंख्यक बाहुल्य हैं, को सघन क्षेत्रीय

165 शिक्षा 2

विकास योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994–95 से 2002–2003 तक 596 प्राथमिक तथा 950 कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गयी है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001–02 में 250 कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु रूपये 1170.00 लाख का वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष रूपये 1070.89 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। (वर्ष 2001–02 में रूपये 400.00 लाख प्रथम किश्त, वर्ष 2002–03 में रूपये 400.00 लाख द्वितीय किस्त तथा वर्ष 2003–04 में रूपये 270.89 लाख की तृतीय किश्त स्वीकृत की जा चुकी है) एवं विद्यालयों का निर्माण किया जा चुका है। विद्यालय भवन की चहारदीवारी निर्माण हेतु वर्ष 2007–08 में रूपये 99.11 लाख का बजट प्राविधान किया गया।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था

कक्षा 1 से 5 तक के परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के बालकों में वर्ष 2001–02 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु रूपये 550.75 लाख की धनराशि व्यय हुई थी, जिसके प्रति 2061656 छात्र लाभान्वित हुए थे। वर्ष 2002–03 में रूपये 597.55 लाख की धनराशि व्यय हुई थी, जिसके प्रति 2202969 छात्र लाभान्वित हुए थे एवं वर्ष 2003–04 में रूपये 1138.00 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई थी जिसमें से रूपये 993.49 लाख की धनराशि व्यय हुई और 3425758 छात्र लाभान्वित हुए थे। वर्ष 2004–05 में उक्त योजनान्तर्गत पुस्तक वितरण नहीं हुआ। वर्ष 2005–06 में शासन ने शासनादेश संख्या–535/79–5–2005–60(30)/96 दिनांक 14.02.2005 द्वारा निर्णय लिया गया कि अब सामान्य वर्ग के बालकों को पाठ्य पुस्तक वितरित किए जाने की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये जिसके तहत रूपये 2000.00 लाख की धनराशि वर्ष 2005–06 के लिए स्वीकृत किया गया जिसमें से रूपये 1882.87 लाख व्यय हुआ तथा 6528714 छात्र लाभान्वित हुए। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालकों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण से 15408985 छात्र लाभान्वित हुए। इस प्रकार वर्ष 2005–06 में सामान्य वर्ग के बालकों एवं समस्त वर्ग की बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालकों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण से कुल 21937699 छात्र लाभान्वित हुए।

वर्ष 2006–07 में कक्षा 1 से 5 तक के सामान्य वर्ग के बालकों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु रूपये 2200 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी जिसमें से रू0 2192.70 लाख व्यय हुआ तथा 5158439 छात्र लाभान्वित हुए। कक्षा 6 से 8 तक के सामान्य वर्ग के बालकों के लिए रूपये 2115 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई और सम्पूर्ण धनराशि व्यय हुआ जिसके प्रति 1651127 छात्र लाभान्वित हुए। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त वर्ग की बालिकाएं एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालकों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण से 5917311 छात्र लाभान्वित हुए इस प्रकार वर्ष 2006–07 में कक्षा 1 से 8 तक के सामान्य वर्ग के बालकों एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बालकों तथा सभी वर्ग की बालिकाओं में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण से कुल 22726877 छात्र लाभान्वित हुए।

वर्ष 2007–08 में कक्षा 1 से 5 तक के सामान्य वर्ग के बालकों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु रूपये 3878 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है जिसमें लगभग रूपये 2900 लाख की धनराशि व्यय होने की सम्भावना है जिससे लगभग 1874000 छात्र लाभान्वित होंगे। कक्षा 6 से 8 तक के सामान्य वर्ग के बालकों हेतु रूपये 2554 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है जिसमें से रूपये 2300 लाख की धनराशि व्यय होने की सम्भावना है तथा लगभग 1873000 छात्र लाभान्वित होंगे। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त वर्ग की बालिकाएं एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के बालकों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण से 7 लाख छात्रों के लाभान्वित होने की संभावना है। इस प्रकार वर्ष 2007–08 में कक्षा 1 से 8 तक के सामान्य वर्ग के बालकों एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के बालकों तथा सभी वर्ग के बालिकाओं में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण से कुल 243 लाख छात्रों के लाभान्वित होने की सम्भावना है।

स्काउटिंग, रेडक्रास तथा जान्स एम्बुलेन्स

स्काउटिंग आन्दोलन के जनक राबर्ट स्टिफैन्स स्मिथ बैडन पावेल थे। भारत स्काउटिंग 1913 में एनीबेसेन्ट द्वारा प्रारम्भ करायी गयी थी। स्काउटिंग से बच्चों से लेकर तक के उच्चकोटि की नैतिकता व योग्यता का विकास किया जाता है। अब भारत

वर्ष 2006–07 में कक्षा 1 से 5 तक के सामान्य वर्ग के बालकों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु रूपये 2200 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी जिसमें से रू0 2192.70 लाख व्यय हुआ तथा 5158439 छात्र लाभान्वित हुए। कक्षा 6 से 8 तक के सामान्य वर्ग के बालकों के लिए रूपये 2115 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई और सम्पूर्ण धनराशि व्यय हुआ जिसके प्रति 1651127 छात्र लाभान्वित हुए। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त वर्ग की बालिकाएं एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालकों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण से 15917311 छात्र लाभान्वित हुए इस प्रकार वर्ष 2006–07 में कक्षा 1 से 8 तक के सामान्य वर्ग के बालकों एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बालकों तथा सभी वर्ग की बालिकाओं में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण से कुल 22726877 छात्र लाभान्वित हुए।

वर्ष 2007–08 में कक्षा 1 से 5 तक के सामान्य वर्ग के बालकों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु रूपये 3878 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है जिसमें से लगभग रूपये 2900 लाख की धनराशि व्यय होने की सम्भावना है जिससे लगभग 5674000 छात्र लाभान्वित होंगे। कक्षा 6 से 8 तक के सामान्य वर्ग के बालकों हेतु रूपये 2554 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है जिसमें से रूपये 2300 लाख की धनराशि व्यय होने की सम्भावना है तथा लगभग 1873000 छात्र लाभान्वित होंगे। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त वर्ग की बालिकाएं एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के बालकों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण से 67 लाख छात्रों के लाभान्वित होने की संभावना है। इस प्रकार वर्ष 2007–08 में कक्षा 1 से 8 तक के सामान्य वर्ग के बालकों एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के बालकों तथा सभी वर्ग के बालिकाओं में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण से कुल 243 लाख छात्रों के लाभान्वित होने की सम्भावना है।

स्काउटिंग, रेडक्रास तथा जान्स एम्बुलेन्स

स्काउटिंग आन्दोलन के जनक राबर्ट स्टिफैन्स स्मिथ बैडन पावेल थे। भारत स्काउटिंग 1913 में एनीबेसेन्ट द्वारा प्रारम्भ करायी गयी थी। स्काउटिंग से बच्चों से बड़ों तक के उच्चकोटि की नैतिकता व योग्यता का विकास किया जाता है। अब भारत

में "भारत स्काउट व गाइड" संस्था है। बेसिक शिक्षा परिषद के नियन्त्रणाधीन विद्यालयों के छात्रों को स्काउट/गाइड कार्यक्रमों में प्रतिभाग कराने के लिए शिक्षा विभाग ने प्रत्येक जनपद में स्काउट गाइड प्रतियोगिताओं का संचालन कराते हैं।

वर्ष 2007–08 में रूपये 3.75 लाख की धनराशि अनुदान के रूप में प्राप्त हुई थी जिसे जनपदीय अधिकारियों को आवंटित की जा चुकी है। जिन विद्यालयों में मानक पूरे होते हैं उन्हें रूपये 400/– अनुदान राशि दी जाती है। प्रतियोगिताओं के व्यय का वहन विद्यालयों से प्राप्त स्काउट शुल्क से किया जाता है। जूनियर रेडक्रास प्रतियोगिता जो स्वास्थ्य से सम्बन्धित है, का आयोजन किया जाता है जिसके अध्यक्ष जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं। इसके अतिरिक्त सेन्ट जान्स एबुलेन्स प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता हैं इसमें कैडेट डिवीजन तथा मैकेन्जी कोर्स प्रतियोगिता आदि आयोजित की जाती है।

विद्यालयी खेल–कूद कार्यक्रम

शैक्षिक संस्थाओं में शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ–साथ शिक्षणेत्तर कार्य कलापों को भी विशेष महत्व दिया जाता है। खेल कूद से ही स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। विद्यालयी खेल कूद कार्यक्रम में प्रतिर्स्पधा करने का बढ़ावा मिलता है इससे अपने ज्ञान व खेल के स्तर के उन्नयन के प्रति उत्कण्ठा पैदा होती है इस हेतु बेसिक शिक्षा विभाग के बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों, सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों के छात्रों के साथ अन्तर्विद्यालयीय प्रतियोगिताएं ब्लाक व जनपद स्तर पर प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है इसमें सफल विजयी छात्र मण्डलीय एवं राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करता है। बेसिक शिक्षा विभाग वर्तमान में 16 खेलों में प्रतियोगिताएं आयोजित कराता है जिनके चयनित छात्र स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इन्डिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हैं। उपरोक्त प्रतियोगिताओं का आयोजन छात्रों से प्राप्त क्रीड़ा शुल्क से वहन किया जाता है। शासन द्वारा वर्ष 2007–08 में रूपये 5 लाख की धनराशि खेल कूद एवं अन्य शैक्षिक कार्यकलापों हेतु अनुदान दिया गया है जिसका जनपदवार आवंटन कर जनपदों को उपलब्ध कराया जा चुका है। इस धनराशि से खेल उपकरण एवं अन्य सहायक सामग्रियों क्रय की जाती है।

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 में 94445 प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 व 2 एवं 10970 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 6, 7 व 8 में छात्रों के बैठने हेतु चौकी एवं डेस्क कम बेन्च की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रूपये 2,29,28,74,780/– मात्र की धनराशि व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2007–08 में अवशेष 6895 प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 व 2 में प्रति विद्यालय 10 चौकी एवं 16777 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 6, 7 व 8 के छात्रों के बैठने हेतु प्रति विद्यालय 57 डेस्क कम बेन्च उपलब्ध कराने हेतु रूपये 2 अरब 20 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।

अम्बेडकर ग्रामों में स्थित परिषदीय विद्यालयों में चहार दीवारी निर्माण योजना

अनुसूचित जाति सब–प्लान/ट्राइबल सब–प्लान के अन्तर्गत चयनित अम्बेडकर ग्रामों में स्थित विद्यालयों में अनावर्तक मद के अन्तर्गत रूपये 31,89,90,000.00 का बजट प्राविधान शासन द्वारा किया गया है। प्रश्नगत योजना ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत संचालित की जानी है जिसके अन्तर्गत वर्ष 1995–96 तथा वर्ष 1997–98 में चयनित अम्बेडकर ग्रामो में स्थित विद्यालयों में चहार दीवारी निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2007–08 में पूर्ण कराये जाने की योजना है। इस योजना में वर्ष 1995–96 के 3252 विद्यालयों में एवं वर्ष 1997–98 के चयनितय अम्बेडकर ग्रामों में 676 विद्यालयों में अर्थात् कुल 3928 विद्यालयों में चहार दीवारी निर्माण कराये जाने की योजना है।

अध्याय–3
सर्व शिक्षा अभियान

उद्देश्य–

- 2005 तक सभी बच्चों का विद्यालयों, शिक्षा गारन्टी केन्द्रों, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकन।
- 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
- 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लें।
- जीवनोपयोग गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा पर बल।
- 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर बालक–बालिका एवं सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना।

केन्द्र–राज्य अंशदान का प्रतिशत–

- सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिये एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। वित्तीय पोषण का प्रतिशत निम्नवत है–

	भारत सरकार	उ0प्र0 सरकार
	0%	0%
➢ 9वीं पंचवर्षीय योजना 2002 तक	85	15
➢ 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002–07	75	25
➢ वर्ष 2007–08	65	35

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी 70 जनपद आच्छादित हैं।

सर्व शिक्षा अभियान की भौतिक प्रगति
प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों का भवन निर्माण

(20 जनवरी, 2008 तक)

वर्ष	लक्ष्य			प्रगति			% उपलब्धि		
	प्राथमिक वि0	उच्च प्राथमिक वि0	योग	प्राथमिक वि0	उच्च प्राथमिक वि0	योग	प्राथमिक वि0	उच्च प्राथमिक वि0	योग
2001–2002	516	450	966	516	449	965	100	99.78	99.90
2002–2003	601	1843	2444	601	1841	2442	100	99.89	99.89
2003–2004	3781	5542	9323	3777	5525	9302	99.89	99.69	99.77
2004–2005	4757	2908	7665	4753	2892	7645	99.92	99.45	99.74
2005–2006	4141	2663	6804	4108	2643	6751	99.90	99.25	99.22
2006–2007	2970	4000	6970	2913	3908	6821	98.08	97.70	97.86
2007–2008	813	5510	6323	15 पूर्ण, 784 निर्माणाधीन	87 पूर्ण, 5370 निर्माणाधीन	102 पूर्ण, 6154 निर्माणाधीन	—	—	—
योग	**17579**	**22916**	**40495**	**16683**	**17345**	**34028**	**94.90**	**75.69**	**84.03**

अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण

(20.01.2008 तक)

वर्ष	लक्ष्य	प्रगति	% उपलब्धि
2001–2002	3174	3174	100
2002–2003	2773	2773	100
2003–2004	4282	4282	100
2004–2005	18552	18530	99.88
2005–2006	65398	65197	99.69
2006–2007	82117	80914	98.54
2007–2008	31535	1754 पूर्ण, 28414 निर्माणाधीन	5.57
योग	**207831**	**176624**	**84.98**

सर्व शिक्षा अभियान की वित्तीय प्रगति– वर्ष 2007–08

(धनराशि रू0 करोड़ में)

परियोजना	वार्षिक कार्य योजना	01.04.07 को अवशेष धनराशि	2007–08 प्राप्त धनराशि			कुल उपलब्ध धनराशि			कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष व्यय %
			केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	योग		कुल अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	
सर्व शिक्षा अभियान +(एन.पी.ई. जी.ई.एल.)+के.जी.बी. वी.	3441.52	252.54	1608.85	5680.53	21869.38	2441.92	2129.79	1627.47	66.65

हैण्डपम्प

कार्यक्रम		लक्ष्य	पूर्ण	प्रतिशत
सर्व शिक्षा अभियान	2001–02	408	392	96.08
	2002–2003	703	536	76.24
	2003–2004	1214	954	78.58
	2004–2005	0	0	0
	2005–2006	7409	4725	63.77
योग		**9734**	**6607**	**74.66**

- हैण्डपम्प की स्थापना में प्रगति इसलिए प्रभावित हो रही है कि भारत सरकार द्वारा हैण्डपम्प की इकाई लागत रू0 15000 स्वीकृत की गयी है, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत (रू0 18000 मैदानी क्षेत्र) से कम है।

सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति

(धनराशि रू0 लाख में)

वर्ष	प्राप्त धनराशि			व्यय धनराशि
	केन्द्रांश	राज्यांश	योग	
2001–2002	7663.33	1352.34	9015.67	3583.38
2002–2003	20166.40	6722.47	26888.87	18477.84
2003–2004	34043.30	11347.77	45391.07	47649.06
2004–2005	87761.00	29253.75	117014.75	125173.90
2005–2006	182799.00	60933.29	243732.29	224056.27
2006–2007	206654.00	68884.66	275538.66	282956.50
2007–2008 (20.01.08 तक)	160885.00	58053.35	218938.35	162747.18

165 शिक्षा 3

शिक्षकों व शिक्षा मित्रों की तैनाती की प्रगति

शिक्षकों की तैनाती–सर्व शिक्षा अभियान

(31 अक्टूबर 2007 तक)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2001–2002	7458	7458
2002–2003	5672	5672
2003–2004	19170	19170
2004–2005	9815	9815
2005–2006	9345	9345
2006–2007	14850	14850
2007–2008	17349	—
योग	**83659**	**66310**

शिक्षा मित्रों की तैनाती

वर्ष	सर्व शिक्षा अभियान	
	लक्ष्य	उपलब्ध
2001–2002	6108	6108
2002–2003	371	371
2003–2004	67111	26065
2004–2005	10495	44200
2005–2006	74753	55612
2006–2007	8435	26095
2007–2008	813	5614
योग	**168086**	**164065**

- वर्ष 2007–08 में शिक्षा मित्रों के चयन हेतु जनपदों मे विज्ञप्ति प्रकाशित हो गयी है तथा चयन की कार्यवाही गतिमान है।

समेकित शिक्षा

(20 जनवरी 2008 तक)

		वर्ष 2001–02	वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07	वर्ष 2007–08
1.	चिन्हित बच्चों की संख्या	197143	217799	247063	263060	276560	295200	260543
2.	मुख्य धारा में लाये गये बच्चों की संख्या	122503	152625	213822	241011	245153	251536	232264
3.	मेडिकल एसेसमेन्ट शिविरों की संख्या	301	468	1131	1337	1354	806	781
4.	बच्चों की संख्या जिनका एसेसमेन्ट किया गया	30122	38660	108873	99611	79870	61759	49734
5.	प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या	22733	23690	50843	111148	21850	8612	–
6.	उपलब्ध उपकरण की संख्या (कन्वर्जेन्स + क्रय)	11288	14205	18899	5680	3523	19994	4829
7.	एलिम्को से समन्वय							
	o एसेस बच्चो	–	–	–	30444	22516	23955	
	o संस्तुत उपकरण	–	–	–	21288	16668	19127	
	o उपलब्ध उपकरण	–	–	–	12773	23432	18088	
8.	आवासीय ब्रिज कोर्स							
	o लक्ष्य	–	–	–	2	70	70	120
	o संचालित	–	–	–	2	50	68	63
9.	रैम्प निर्माण							
	o लक्ष्य	–	–	–	–	56627	25285	12978
	o निर्मित	–	–	–	–	48764	22714	12720
10.	इटीनरेन्ट टीचर							
	o लक्ष्य	–	–	–	–	399	2425	2445
	o चयनित	–	–	–	–	243	1016	1367
	o प्रशिक्षण	–	–	–	–	234	393	–
11.	रिसोर्स टीचर							
	o लक्ष्य	–	–	–	–	217	217	209
	o चयनित	–	–	–	–	161	171	161
12.	आई0सी0डी0एस0 वर्कर प्रशिक्षण	–	–	46596	61494	26662	2603	–

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में अपवंचित वर्ग की विद्यालय से बाहर की बालिकाओं एवं ड्राप आऊट बालिकाओं को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना संचालित है। दसवीं पंचवर्षीय योजना तक 75:25 अनुपात केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वित्तीय भारवहन किया गया तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2007–08 में 65:35 के अनुपात में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वित्तीय भार वहन किया जायेगा। वर्ष 2007–08 में यह योजना सर्व शिक्षा अभियान में ही सम्मिलित हो गयी है।

यह योजना उत्तर प्रदेश के 323 विकास खण्डों हेतु स्वीकृत की गई है। वर्तमान में 207 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हैं जिनमें लगभग 14303 बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इन विद्यालयों में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। अवशेष विद्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया गतिमान है।

नेशनल प्रोग्राम फार एजूकेशन आफ गर्ल्स एट एलीमेन्ट्री लेवल (एन.पी.ई.जी.ए.एल.)

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में संवर्द्धीकरण हेतु नेशनल प्रोग्राम फार एजूकेशन आफ गर्ल्स, एट एलीमेन्ट्री लेवल (एन.पी.ई.जी.ए.एल.) कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। विद्यालय से बाहर की बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने तथा विद्यालय जाने वाली बालिकाओं में ड्राप आऊट रोकने, शिक्षा की गुणवत्ता बढाने तथा उन्हें जीवन कौशल सम्बन्धित का ज्ञान कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

वर्तमान में प्रदेश के 680 विकास खण्डों में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में यह योजना संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर के एक क्लस्टर विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित कर बाल मैत्रिक घटक हेतु खेलकूद सामग्री, झूले, पुस्तकालय एवं साइकिल आदि उपलब्ध करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त न्याय पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय अतिरिक्त कक्षा–कक्ष का भी निर्माण कराया जा रहा है। वर्ष 2006–07 में आच्छादित विकास खण्डों के परिषदीय

प्राथमिक विद्यालयों की बालिकाओं को निःशुल्क यूनीफार्म उपलब्ध कराई गई है जिससे लगभग 80 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। वर्ष 2007–08 में 31.12.2007 तक 7665834 बालिकाओं को निःशुल्क यूनिफार्म वितरित की जा चुकी है, तथा शेष बालिकाओं को यूनीफार्म का वितरण गतिमान है। इसके अतिरिक्त गणित तथा विज्ञान में बालिकाओं के लिए उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था भी की गयी है। यह योजना भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सम्मिलित है।

अध्याय –4

साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा
(अ) शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा

भारत सरकार द्वारा अनौपचारिक शिक्षा को दिनांक 01.04.2001 से समाप्त करके उसके स्थान पर शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में शिक्षा गारण्टी योजना एवं नवाचार शिक्षा को संचालित करने के उद्देश्य से साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय का गठन किया गया जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था निम्नवत् है:–

पद	वेतनमान	स्वीकृत पद
(क) निदेशालय स्तर	रू0	
1. निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा	18400–22400	01
2. उप शिक्षा निदेशक, सा. एवं वै. शि.	10000–15200	02
3. सहायक निदेशक, सा. एवं वै. शि.	10000–15200	01
4. आशुलिपिक	4500–7000	02
5. अधीक्षक ग्रेड–2	5000–8000	01
6. वरिष्ठ सहायक	4500–7000	04
7. वरिष्ठ लिपिक	4000–6000	01
8. कनिष्ठ लिपिक	3050–4590	02
9. वाहन चालक	3050–4590	01
10. चपरासी	2550–3200	03
योग		18

मण्डल स्तर

मण्डल स्तर पर कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य मण्डलीय सहायक निदेशक बेसिक को सौंपा गया है।

जनपद स्तर

जनपद स्तर पर कार्यक्रम के संचालन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है। वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमों को विशेष रूप से देखने के लिए जनपद स्तर पर जिला समन्वयक की नियुक्ति की गयी है।

विकास खण्ड स्तर

विकास खण्ड स्तर पर योजना के क्रियान्वयन का दायित्व सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को सौंपा गया है।

कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु "सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद" के अन्तर्गत ग्राण्ट–इन–एड–कमेटी समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन तथा सदस्य सचिव, निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा है।

यह समिति प्रदेश में "शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा" के क्रियान्वयन नीति निर्धारण के साथ–साथ भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के आधार पर दिशा निर्देश तैयार करती है तथा कार्यक्रम की समीक्षा समय–समय पर करती है।

शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं:

1. **शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना**

- प्रदेश सरकार द्वारा संचालित शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के अन्तर्गत ई.जी.एस., ए.आई.ई. प्राथमिक, आवासीय एवं गैर आवासीय ब्रिजकोर्स का संचालन।
- दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से यह योजना प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए संचालित "सर्व शिक्षा अभियान" योजना का अंग है।

शिक्षा गारण्टी योजना 6–11 वय वर्ग (विशेषकर 6–8 वय वर्ग), वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रम (ए0आई0ई0) का लक्ष्य समूह 9–11 वय वर्ग, आवासीय/गैर आवासीय ब्रिजकोर्स का लक्ष्य समूह 11–14 वय वर्ग के बच्चे हैं। विकलांग बच्चों के लिए यह आयु सीमा 18 वर्ष तक होगी।

शिक्षा गारण्टी योजना :

ऐसे ग्राम अथवा मजरे में जहाँ 1 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत कोई परिषदीय प्राथमिक विद्यालय नहीं है और कक्षा 1 व 2 के लिए 6–8 वय वर्ग के जहां 30 बच्चे (विशेष परिस्थिति में 15 बच्चे) शिक्षा ग्रहण करने हेतु उपलब्ध हों वहां ई.जी.एस. केन्द्र खोले जाते है। केन्द्र पर ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति के माध्यम से एक आचार्य जी की तैनाती की जाती है। केन्द्र संचालन की अवधि 10 माह होती है। कक्षा–2 की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद उन बच्चों को निकट के प्राइमरी विद्यालय में दाखिल कराया जाता है। इन केन्द्रों में मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत पका पकाया भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा (ए0आई0ई0) केन्द्र :

मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों, ईंट भट्टों पर कार्य करने वाले श्रमिकों के बच्चे, रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध घुमन्तू उपेक्षित जातियों के बच्चों, निर्माणाधीन बड़ी इमारतों पर लगे हुए श्रमिकों के बच्चे अथवा अन्य किसी विषम परिस्थितियों में रहने वाले 6–11 वय वर्ग (विशेष कर 9–11 वय वर्ग) के बच्चे जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने नहीं जा रहे हैं, की शिक्षा के लिए ए.आई.ई. प्राइमरी केन्द्रों (कक्षा–1 से 5 तक) का संचालन किया जाता है।

यह केन्द्र न्यूनतम 20 बच्चों की उपलब्धता पर संचालित किया जा सकता है। केन्द्र पर अनुदेशक की व्यवस्था/चयन ग्राम शिक्षा समिति/ वार्ड शिक्षा समिति के माध्यम से होती है। केन्द्र पर न्यूनतम 4 घंटे पढाई होती है। केन्द्र संचालन की अवधि 10 माह की होती है। केन्द्र के बच्चों को उनकी शैक्षिक सम्प्राप्ति के आधार पर निकटवर्ती प्राथमिक विद्यालय की उचित कक्षा में नामांकित कराया जाता है। पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकें बच्चों को निःशुल्क दी जाती है। इन केन्द्रों में मध्यान्ह भोजन की भी व्यवस्था होती है।

ये केन्द्र शासकीय तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा के माध्यम से संचालित होते हैं।

ब्रिजकोर्स का संचालन :

कभी स्कूल न गये तथा शालात्यागी 11–14 वय वर्ग के कम से कम 15–20 बच्चों के एक ही पाकेट/कलस्टर में उपलब्ध होने पर 6 माह के लिए आवासीय/गैर आवासीय ब्रिजकोर्स संचालित किये जाते हैं। गैर आवासीय ब्रिजकोर्स हेतु दो अनुदेशकों का चयन उसी ग्राम सभा/वार्ड से किया जाता है जहॉ ब्रिजकोर्स संचालित किया जाना है। अनुदेशक की शैक्षिक न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल उत्तीर्ण एवं न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। इन केन्द्रों का संचालन स्वैच्छिक संस्थाओं एवं शासकीय तंत्र दोनों के माध्यम से आवश्यकतानुसार कराया जाता है।

11–14 वय वर्ग के वे बच्चे जो अपनी विषम आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के कारण कभी विद्यालय नहीं गये हैं और एक ही स्थान पर उपलब्ध न होकर बिखरे हुए हों तो ऐसे सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आवासीय ब्रिजकोर्स का संचालन किया जाता है। ये पूर्णतः आवासीय होते है। वर्तमान में से 6 माह की अवधि के लिए संचालित हो रहे हैं। इनका संचालन स्वैच्छिक संस्थाओं एवं शासकीय तंत्र दोनों के माध्यम से आवश्यकतानुसार कराया जाता है। इन केन्द्रों में 2 अनुदेशक एक चौकीदार तथा रसोइया की व्यवस्था निर्धारित चयन समिति/स्वैच्छिक संस्था द्वारा की जाती है। अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल निर्धारित है। ब्रिजकोर्स शिविर के अन्त में बच्चों की शिक्षा सम्प्राप्ति के आधार पर परीक्षा दिलाकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जाता है।

वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा (ए.आई.ई. मदरसा) केन्द्र :

दीनी तालीम एवं स्टेट अरबी–फारसी बोर्ड के निर्धारित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त बेसिक शिक्षा के औपचारिक विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार मान्यता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को अतिरिक्त 3–4 घण्टे की शिक्षा प्रदान कर स्टेट अरबी–फारसी मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों के सुदृढीकरण कराए जाने की योजना लागू है। इन केन्द्रों में एक अनुदेशक जिसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल उत्तीर्ण हो तथा कम से कम आयु 18 वर्ष हो, चयन किया जाता है।

165 शिक्षा 5

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में केन्द्र संचालन की प्रगति निम्नवत् है:–

क्रम	स्कीम	वर्ष 2007–08 का लक्ष्य	उपलब्धि (31.12.2007 तक)
1.	शिक्षा गारण्टी स्कीम (ई.जी.एस.)	4349	3996
2.	वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्र (ए.आई.इ.प्रा.)	3896	3108
3.	गैर आवासीय ब्रिजकोर्स केन्द्र	1835	976
4.	आवासीय ब्रिजकोर्स केन्द्र	800	376

(ब) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1661.98 लाख है जिसमें 7 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या 1345.73 लाख है। 7 वर्ष से अधिक की आयु में साक्षरों की संख्या 757.19 लाख है।

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 56.3 है जिसमें पुरूषों में साक्षरता प्रतिशत 68.8 तथा महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत 42.2 है। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में गत 10 वर्षों में साक्षरता में वृद्धि 15.6 प्रतिशत तथा महिलाओं में यह वृद्धि 17.8 प्रतिशत हुई है।

प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत में निम्नवत् उल्लेखनीय प्रगति हुई है :–

	1991 की साक्षारता प्रतिशत			2001 की साक्षरता प्रतिशत			1991–2001 के मध्य साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि		
	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला
भारत	52.2	64.1	39.3	64.8	75.3	53.7	12.6	11.2	14.4
उत्तर प्रदेश	40.7	54.8	24.4	56.3	68.8	42.2	15.6	14.0	17.8

प्रदेश में 15–35 वय वर्ग के निरीक्षरों के लिए साक्षरता समिति के माध्यम से सम्पूर्ण साक्षरता अभियान सभी जनपदों में संचालित किए जा रहे हैं।

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं:–

1. पढने–लिखने, अंक ज्ञान में आत्मनिर्भर होना।
2. अपनी गिरी हुई हालत के कारणों की जानकारी पाना और संगठित होकर तथा विकास कार्यक्रमों में भागीदारी बनकर अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करना।
3. अपनी आर्थिक स्थिति और गिरी हुई हालत को सुधारने के लिए नए हुनर सीखना।
4. राष्ट्रीय एकता पर्यावरण की सुरक्षा, महिलाओं और पुरूषों में समानता। छोटे परिवार के आदेशों को समझना जैसे राष्ट्रीय एवं सामाजिक मूल्यों की जानकारी पाना।

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के उपरान्त नव साक्षरों की शिक्षा में निरन्तरता बनाए रखने के उद्देश्य से उत्तर साक्षरता कार्यक्रम को संचालित किया जाता है जो एक वर्ष की अवधि के लिए है। वर्ष 2007–08 में सभी शेष जनपदों को उत्तर साक्षरता की परिधि में लाने का लक्ष्य है। उपरोक्त कार्यक्रम के लक्ष्य समूह निम्नवत् हैं:–

1. 15–35 आयु वर्ग के नवसाक्षरों के लिए पुस्तकालय आदि की व्यवस्था करना।
2. अर्द्धसाक्षर/बुनियादी साक्षरता चरण की पढाई बीच में ही छोड कर जाने वालों निरीक्षरों के लिए।
3. प्राथमिक स्कूलों की पढ़ाई बीच में छोड़ जाने के लिए।
4. ऐसे नवसाक्षरों को जो जीवन–यापन में सुधार एवं आर्थिक उन्नति के लिए सामाजिक शिक्षा में क्षेत्रीय लघु उद्योगों को सीखने के लिए व्यवस्था।

वर्ष 2006–07 में प्रदेश के कुल 66 जनपदों में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम लागू किया गया है। उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के एक वर्ष के उपरान्त सतत् शिक्षा/आजीवन शिक्षा के लिए 50 जनपदों में सतत् शिक्षा कार्यक्रम की कार्ययोजना अनुमोदित की जा चुकी है जिसमें से 29 जनपदों को वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है तथा

कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। सतत् शिक्षा कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं:-

(क) साक्षरता कौशल बनाए रखने और सतत् शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना ताकि शिक्षार्थी बुनियादी साक्षरता के बाद भी अपनी शिक्षा जारी रखें।

(ख) जीवन-यापन की दशा और जीवन सुधारने के लिए कार्यात्मक साक्षरता को इस्तेमाल करने की सम्भावना पैदा करना।

(ग) विकास से जुड़े कार्यक्रम के बारे में जानकारी देना और समाज के परम्परागत वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ाना और उसमें सुधार करना।

(घ) राष्ट्रीय चिन्ता के विषयों के बारे में जागरूकता पैदा करना, जैसे राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण और सुधार, महिला पुरूष की समानता छोटे परिवार के आदर्श मानना और समाज की सभी समस्याओं का समाधान करना।

(ङ) व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए अल्प अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

(च) साक्षरता प्रयासों और शिक्षा प्रेमी समाज के अनुरूप वातावरण बनाने के लिए पुस्तकालय और वाचनालयों की सुविधाएं प्रदान करना।

(छ) लोगों की कारगर भागीदारी से सांस्कृतिक और मनोरंजन की गतिविधियाँ आयोजित करना॥

निम्नांकित व्यवस्था के अन्तर्गत किया जा रहा है, जिन पर साक्षरता अभियान का क्रियान्वयन/अनुश्रवण एवं प्रबन्धन की जिम्मेदारी सौंपी गई है:-

जनपद स्तर

जिला साक्षरता समिति
↓
साधारण सभा
↓
कार्यकारिणी
↓
कोर ग्रुप
↓
उपसमितियाँ

ब्लाक स्तर	:	ब्लाक साक्षरता समिति
न्याय पंचायत स्तर	:	न्याय पंचायत साक्षरता समिति
ग्राम स्तर	:	ग्राम शिक्षा समिति
मण्डल स्तर	:	मण्डलीय साक्षरता समिति
राज्य स्तर	:	राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण/ साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान एवं उत्तर साक्षरता कार्यक्रम/सतत् शिक्षा कार्यक्रम से आच्छादित जनपदों की संख्या

जनपद का नाम	कुल जनपद	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	उत्तर साक्षरता कार्यक्रम	सतत् शिक्षा कार्यक्रम
1. मेरठ	5	–	2	3
2. सहारनपुर	2	–	–	2
3. आगरा	7	1	–	6
4. झांसी	3	–	1	2
5. इलाहाबाद	4	–	1	3
6. कानपुर	6	–	1	5
7. बरेली	4	–	–	4
8. मुरादाबाद	4	–	–	4
9. लखनऊ	6	–	4	2
10. फैजाबाद	4	–	1	3
11. गोरखपुर	4	1	–	3
12. वाराणसी	4	1	–	3
13. मिर्जापुर	3	1	1	1
14. आजमगढ़	3	–	1	2
15. बस्ती	3	–	–	3
16. चित्रकूट	4	–	1	3
17. देवीपाटन	4	–	3	1
योग	**70**	**4**	**16**	**50**

उत्तर साक्षरता कार्यक्रम

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के बाद उत्तर साक्षरता का कार्यक्रम संचालित किया जाता है। उत्तर साक्षरता का कार्यक्रम सामान्यता एक वर्ष की अवधि का है। इसमें 40–50 घण्टे तक सप्ताह में एक दिन कक्षा लगाकर गाइडेन्स लर्निंग से सेल्फ की ओर लाया जाता हैं। शेष अवधि में पुस्तकालय, वाचनालय, कौशल विकास, चर्चा मण्डल, संचार केन्द्र सुविधाएं दी जाती है। एक नवसाक्षर को उत्तर साक्षरता की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए औसत 80–85 रूपये लागत आती है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा अनुमोदित लागत का दो तिहाई भारत सरकार तथा एक तिहाई भाग राज्य सरकार वहन करती है। सम्प्रति राज्य के 66 जनपदों के लिए उत्तर साक्षरता कार्यक्रम स्वीकृत किया गया था जिसके समक्ष 50 जनपदों में पूर्ण किया जा चुका है।

नवसाक्षरों के लिए सतत् शिक्षा योजना

भारत सरकार ने उत्तर साक्षरता के अनुवर्ती कार्यक्रमों के पक्ष में नव साक्षरों के लिए सतत् शिक्षा केन्द्र स्थापित किया है। इस योजना के अन्तर्गत 1500 से 2000 की जनसंख्या या 500 नव साक्षरों के लिए एक सतत् शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाएगा। इन केन्द्रों पर सायंकालीन कक्षाएं, पुस्तकालय, वाचनालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण, चर्चा मण्डल, जीवन में गुणवत्ता के कार्यक्रम शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने के कार्यक्रम सहित एक लर्निंग सोसाइटी के विकास की संकल्पना है। एक सतत् शिक्षा केन्द्र की लागत रू0 25,000/– अनावर्ती तथा रू0 25000/– आवर्ती अनुमोदित (वार्षिक) की गई है। नोडल सतत् शिक्षा केन्द्र की अनावर्ती लागत रू0 45000/– तथा आवर्ती वार्षिक लागत रू0 45000/– है। यह योजना पांच वर्षों के लिए है। प्रथम तीन वर्षों तक इस योजना की लागत को केन्द्र सरकार शत्–प्रतिशत आधार पर वहन करेगी। अन्तिम दो वर्षों में केन्द्र एवं राज्य सरकारें इन्हें आधा–आधा वहन करेगी। प्रदेश के 50 जनपदों में इसे राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा 29 जनपदों को वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी है। शेष जनपदों को वित्तीय स्वीकृत अभी प्राप्त नहीं हुई है जिसके लिए कार्यवाही गतिमान है।

अभियान का मूल्यांकन

साक्षरता अभियान में लाभार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अध्ययन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा नामित राज्य के बाहर की किसी स्वायत्तशासी संस्था द्वारा कराया जाता है। अभी तक राज्य के 64 जनपदों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का वाह्य मूल्यांकन किया जा चुका है। उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 जनपदों में वाह्य मूल्यांकन किया जा चुका है।

केन्द्रों हेतु पठन–पाठन एवं शिक्षा सामग्री निःशुल्क दी जाती है। इसका निर्माण राज्य सन्दर्भ केन्द्र, साक्षरता निकेतन, लखनऊ द्वारा किया जाता है। सम्प्रति राज्य में विभिन्न क्षेत्रों हेतु प्रवेशिकाएं स्थानीय बोलियों में अपनाई गई है यथा बृज भारतीय–बृज क्षेत्र के लिए, बुन्देल भारती बुन्देलखण्ड के लिए, नई किरन मध्य उत्तर प्रदेश के लिए, पूर्वांचल प्रवेशिका पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। भारत सरकार के निर्देशानुसार तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की संकल्पनानुसार योजनानुसार प्रवेशिकाओं को तीन भागों में तैयार किया जाता है। इन प्रवेशिकाओं में लिखित अभ्यास मूल्यांकन जांच पत्र तथा समाप्ति पर प्रमाण पत्र की व्यवस्था की गई है।

विशेष साक्षरता कार्यक्रम

प्रदेश की साक्षरता दर व्यापक सुधार के उद्देश्य से वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर प्रदेश की औसत साक्षरता (56.3) से कम साक्षरता रखने वाले 27 जनपदों विशेष साक्षरता कार्यक्रम की कार्ययोजना अनुमोदित करायी गयी है। इन सभी जनपदों में निम्नवत् हैं :–

1	श्रावस्ती	2	बलरामपर	3	बहराइच	4	बदायूँ
5	रामपुर	6	सिद्धार्थनगर	7	गोण्डा	8	मुरादाबाद
9	महराजगंज	10	कौशाम्बी	11	कुशीनगर	12	बाराबंकी
13	बरेली	14	सीतापुर	15	शाहजहाँपुर	16	ललितपुर
17	ज्योतिबाफूले नगर	18	पीलीभीत	19	संत कबीर नगर	20	बस्ती
21	महोबा	22	रायबरेली	23	बांदा	24	उन्नाव
25	मिर्जापुर	26	सुल्तानपुर	27	सोनभद्र		

उपरोक्त जनपदों में कार्यक्रम की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

2001 की जनगणनानुसार जनपदवार जनसंख्या एवं 7 वर्ष तथा अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षरता प्रतिशत

क्र0सं0	जनपद / मण्डल	जनसंख्या	साक्षरता प्रतिशत		
			कुल	पुरूष	महिला
1	सहारनपुर	2,896,863	61.2	70.9	50
2.	मुजफ्फर नगर	3,542,362	60.7	71.9	47.8
	सहारनपुर मण्डल	6,439,225			
3.	बिजनौर	3,131,619	58.1	68.8	46.1
4.	मुरादाबाद	3,810,983	44.7	54.9	33.0
6.	रामपुर	1,923,739	33.8	48.2	27.9
6.	जे.पी. नगर	1,499,068	49.5	62.6	34.6
	मुरादाबाद मण्डल	10,365,409			
7.	मेरठ	2,997,361	64.8	75.0	53.1
8.	बागपत	1,163,991	64.2	77.0	49.2
9.	गाजियाबाद	3,290,586	69.7	79.8	58.0
10.	गौतमबुद्ध नगर	1,202,030	68.7	81.3	53.7
11.	बुलन्दशहर	2,913,122	59.4	74.3	42.5
	मेरठ मण्डल	11,567,090			
12.	अलीगढ़	2,992,286	58.8	71.7	43.0
13.	हाथरस	1,336,031	62.5	76.3	46.3
14.	मथुरा	2074,516	61.5	76.5	43.4
15.	आगरा	3,620,436	62.6	74.6	48.3
16.	फिरोजाबाद	2,052,958	64.5	75.9	50.9
17.	एटा	2,790,410	54.6	67.5	39.3
18.	मैनपुरी	1,596,718	65.1	76.7	51.4
	आगरा मण्डल	16,463,355			
19.	बदायूं	3,069,426	38.2	49.0	25.1
20.	बरेली	3,618,589	47.8	58.7	35.2
21.	पीलीभीत	1,645 183	49.8	62.5	35.1
22.	शाहजहाँपुर	2,547,855	49.1	59.7	36.3
	बरेली मण्डल	10,881,053			

23.	लखीमपुर खीरी	3,207,232	48.4	59.5	35.4
24.	सीतापुर	3,619,661	48.3	60.0	34.6
25.	हरदोई	3,398,306	51.9	64.4	36.80
26.	उन्नाव	2,700,324	54.6	66.3	41.6
27.	लखनऊ	3,647,834	68.7	76.0	60.5
28.	रायबरेली	2,872,335	53.8	67.6	39.3
	लखनऊ मण्डल	**19,445,692**			
29.	फर्रूखाबाद	1,570,408	60.9	71.1	48.6
30.	कन्नौज	1,388,923	61.9	72.8	49.2
31.	इटावा	1,338,871	69.6	79.9	57.4
32.	औरैया	1,179,993	70.5	80.1	89.1
33.	कानपुर देहात	1,563,336	66.4	76.4	54.6
34.	कानपुर नगर	4,167,999	74.4	80.3	67.5
	कानपुर मण्डल	**11,209,530**			
35.	जालौन	1,454,452	64.5	77.4	49.2
36.	झाँसी	1,744,931	65.5	78.8	50.2
37.	ललितपुर	977,734	49.5	63.8	33.0
	झांसी मण्डल	**4,177,117**			
38.	हमीरपुर	1,043,724	57.4	71.9	40.1
39.	महोबा	708,447	53.3	67.7	36.4
40.	बांदा	1,537,334	54.4	69.3	36.8
41.	चित्रकूट	766,225	65.0	77.7	50.3
	चित्रकूटधाम मण्डल	**4,055,730**			
42.	फतेहपुर	2,308,384	56.3	69.0	41.9
43.	प्रतापगढ़	2,731,174	57.6	74.0	41.5
44.	कौशाम्बी	1,293,154	46.9	62.0	29.8
45.	इलाहाबाद	4,936,105	62.1	75.8	46.4
	इलाहाबाद मण्डल	**11,268,817**			
46.	बाराबंकी	2,673,581	47.4	58.8	34.3
47.	फैजाबाद	2,088,928	56.3	69.4	42.3

48.	अम्बेडकर नगर	2,026,876	58.4	71.4	45.3
49.	सुल्तानपुर	3,214,832	55.8	70.5	40.9
	फैजाबाद मण्डल	**10,004,217**			
50.	बहराइच	2,381,072	35.2	45.6	22.8
51.	श्रावस्ती	1,176,391	33.8	46.7	18.6
52.	बलरामपुर	1,682,350	34.6	45.8	21.8
53.	गोण्डा	2,765,586	42.6	56.4	27.2
	देवीपाटन मण्डल	**8,005,399**			
54.	सिद्धार्थ नगर	2,040,085	42.3	56.7	27.1
55.	बस्ती	2,084,814	52.5	67.1	36.9
56.	संत कबीर नगर	1,420,226	50.9	66.6	34.9
	बस्ती मण्डल	**5,545,125**			
57.	महराजगंज	2,173,878	46.6	63.9	27.9
58.	गोरखपुर	3,769,456	58.5	73.6	42.9
59.	कुशीनगर	2,893,196	46.9	63.6	29.6
60.	देवरिया	2,712,650	58.6	75.0	42.5
	गोरखपुर मण्डल	**11,549,180**			
61.	आजमगढ़	3,939,916	57.0	71.0	43.4
62.	बलिया	1,853,997	62.2	75.6	48.7
63.	मऊ	2,761,620	57.9	71.9	43.2
	आजमगढ़ मण्डल	**8,555,533**			
64.	जौनपुर	3,911,679	59.8	76.2	44.1
65.	गाजीपुर	3,037,582	59.6	74.9	44.0
66.	चन्दौली	1,643,251	59.7	74.0	44.1
67.	वाराणसी	3,138,671	66.1	77.9	53.0
	वाराणसी मण्डल	**11,731,183**			
68.	सन्त रविदास नगर	1,353,705	57.9	75.8	38.4
69.	मिर्जापुर	2,116,042	55.3	69.6	39.3
70.	सोनभद्र	1,463,519	49.2	62.9	33.7
	मिर्जापुर मण्डल	**4,933,266**			
	उत्तर प्रदेश	**166,197,921**	**56.3**	**68.8**	**42.2**

University of Educational Planning and Administration Documentation Centre
Acc. No. D-14480
Date: 19-7-2013

अध्याय–5
मध्यान्ह भोजन योजना

मध्यान्ह भोजन योजना एक अत्यन्त जनोपयोगी योजना है जो भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समवेत प्रयासों से संचालित है। भारत सरकार द्वारा यह योजना 15 अगस्त, 1955 को लागू की गयी थी, जिसके अन्तर्गत कक्षा 1 से 5 तक प्रदेश के सरकारी/परिषदीय/राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को 80 प्रतिशत उपस्थिति पर प्रतिमाह 03 किग्रा0 गेहूँ अथवा चावल दिये जाने की व्यवस्था की गयी थी। किन्तु योजना के अन्तर्गत छात्रों को दिये जाने वाले खाद्यान्न का पूर्ण लाभ छात्र को न प्राप्त होकर उसके परिवार के मध्य बँट जाता था, क्योंकि पूर्व में पके–पकाये भोजन की व्यवस्था नहीं थी। इससे छात्र को वांछित पौष्टिक तत्व कम मात्रा में प्राप्त होते थे।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 2001 को दिये गये निर्देश के क्रम में प्रदेश में दिनांक 01 सितम्बर, 2004 से पका–पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराने की योजना आरम्भ कर दी गयी है। इस योजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2007–08 में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 1.94 करोड़ बच्चों को प्रतिदिन पका–पकाया भोजन विद्यालय में दिया जाना प्रस्तावित है।

योजना के क्रियान्वयन हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण का गठन निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है:–

1. प्रदेश के राजकीय, परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अर्ह प्राथमिक विद्यालयों, ई0जी0एस0 एवं ए0आई0ई0 केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना।
2. पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा कर बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना।
3. विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाना।
4. प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों में विद्यालयों में रूकने की प्रवृत्ति विकसित करना तथा ड्राप आउट रेट कम करना।

6. बच्चों में भाई–चारे की भावना विकसित करना तथा विभिन्न जातियों एवं धर्मों के मध्य के अन्तर को दूर करने हेतु उन्हें एक साथ बिठाकर भोजन कराना ताकि उनमें अच्छी समझ पैदा हो।

योजनान्तर्गत पके–पकाये भोजन की व्यवस्था

इस योजनान्तर्गत विद्यालयों में मध्यावकाश में छात्र–छात्राओं को स्वादिष्ट एवं रूचिकर भोजन प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत प्रत्येक छात्र को सप्ताह में 4 दिन चावल के बने भोज्य पदार्थ तथा 2 दिन गेहूं से बने भोज्य पदार्थ दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रतिदिन 100 ग्राम खाद्यान्न से निर्मित सामग्री दी जाती है। खाद्यान्न से भोजन पकाने के लिए परिवर्तन लागत की व्यवस्था की गयी है। परिवर्तन लागत से सब्जी, तेल, मसाले एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था की जाती है। उपलब्ध कराये जा रहे भोजन में कम से कम 450 कैलोरी ऊर्जा व 12ग्राम प्रोटीन उपलब्ध होना चाहिए। परिवर्धित पोषण मानक के अनुसार मेनू में व्यापक परिवर्तन किया गया है, तथा इसका व्यापक प्रसार–प्रचार किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 40.00 लाख अध्ययनरत बच्चों को पका–पकाया भोजन माह अक्टूबर, 2007 से दिया जा रहा है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पके–पकाये भोजन के लिए 150 ग्राम खाद्यान्न (गेहूँ / चावल) प्रति छात्र प्रति विद्यालय दिवस एवं परिवर्तन लागत (कन्वर्जन कास्ट) की दर रू0 2.50 प्रति छात्र प्रति विद्यालय दिवस दी जाने की व्यवस्था की गयी है। परिवर्तन लागत से सब्जी, तेल, मसाले एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था की जाती है। उपलब्ध कराये जा रहे भोजन में कम से कम 700 कैलोरी ऊर्जा व 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध होना चहेए। बच्चों को पका–पकाया भोजन दिए जाने हेतु वर्ष 2007–08 में कन्वर्जन कास्ट के रूप में 66.00 करोड़ एवं किचेन शेड के निर्माण हेतु रू0 10.00 करोड की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी है। उक्त योजना में सम्प्रति भोजन का मीनू प्राथमिक विद्यालयों का ही लागू है।

खाद्यान्न की व्यवस्था

मध्यान्ह भोजन के क्रियान्वयन अर्थात् भोजन पकाने का कार्य ग्राम पंचायतों की देख–रेख में किया जा रहा है। भोजन बनाने हेतु आवश्यक खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) जो फूड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया से निःशुल्क प्रदान किया जाता है, उसे सरकारी

सस्ते-गल्ले की दुकान से प्राप्त कर ग्राम प्रधान द्वारा अपनी देख-रेख में विद्यालय परिसर में बने किचेनशेड में भोजन तैयार कराया जाता है भोजन बनाने हेतु लगने वाली अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने का दायित्व भी ग्राम प्रधान का ही है। नगरीय क्षेत्र में भोजन बनाने का दायित्व वार्ड सभासद को सौंपा गया है। यदि इन क्षेत्रों में सभासद द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है तो भोजन तैयार करने एवं वितरित करने का कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है।

भोजन बनाने हेतु वित्तीय व्यवस्था

योजना के प्रारम्भ से 14 अगस्त 2006 तक खाद्यान्न से भोजन बनाने हेतु 1रूपया/प्रति बच्चा प्रति दिन की दर से परिवर्तन लागत भारत सरकार द्वारा दी जा रही थी। 15 अगस्त 2006 से रूपये 2/--प्रति छात्र प्रति दिन की दर से दिया गया है। इस राशि का 25 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2006-07 में योजनान्तर्गत कुल रू0 62648.98 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई थी।

भोजन हेतु मीनू की व्यवस्था

मध्यान्ह भोजन की विविधता हेतु सप्ताह के प्रत्येक कार्यदिवस हेतु भिन्न-भिन्न प्रकार का भोजन (मीनू) दिये जाने की व्यवस्था की गई है, जिससे भोजन के सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो तथा वह बच्चों की अभिरूचि के अनुसार भी हो। मीनू निर्धारित होने से पारदर्शिता आई है तथा जन-समुदाय मीनू के अनुपालन की स्थिति को ज्ञात करने में सक्षम हो सका है।

अनुश्रवण एवं पर्ववेक्षण की व्यवस्था

विद्यालयों में पके-पकाये भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नगर क्षेत्र स्तर पर वार्ड समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत समिति का गठन किया गया है। मण्डल स्तर पर योजना के अनुश्रवण और पर्यवेक्षण हेतु मण्डलीय सहायक निदेशक (बेसिक शिक्षा) को दायित्व सौंपा गया है। जनपद स्तर पर योजना के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है जिसके अधीन जनपद स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। विकास खण्ड स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गयी है, जिसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

मिड–डे–मील योजना साप्ताहिक आहार तालिका (मीनू)

दिन	नवीन मीनू	व्यंजन का प्रकार	100 बच्चों हेतु वांछित सामग्री
सोमवार	रोटी–सब्जी, जिसमें सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी का प्रयोग	100 ग्राम गेहूं की रोटी एवं दाल की बड़ी (दाल की बड़ी में मौसमी सब्जियों का स्वाद के अनुसार मिश्रण) अथवा मौसमी सब्जी एवं सोयाबीन।	आटा 10 किलो, सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी तथा सब्जी 6 किलो, तेल/घी 500 ग्राम।
मंगलवार	चावल–सब्जीयुक्त दाल अथवा चावल–साम्भर	100 ग्राम चावल एवं सब्जी (मौसमी) मिश्रित दाल, अरहर की दाल।	दाल 2.5किलो, चावल 10 किलो, सब्जी 3 किलो।
		सांभर मसाला एवं मौसमी सब्जी।	दाल 2.5 किलो, चावल 10 किलो, सब्जी 3 किलो।
बुधवार	कढ़ी चावल अथवा मीठा चावल/खीर	100 ग्राम चावल, बेसन, मट्ठा/दही मिश्रित कढ़ी।	चावल 10 किलो, 10 लीटर दूध से बना दही, बेसन 2.5 किलो।
		100 ग्राम चावल मानकानुसार दूध, चीन, मेवे का मिश्रण	चावल 10 किलो, दूध 10 लीटर, चीनी 3 किलो
गुरूवार	रोटी–सब्जीयुक्त दाल	100 ग्राम गेहूं की रोटी एवं दाल (दाल में मौसमी सब्जियों का स्वाद के अनुसार मिश्रण) अथवा मौसमी सब्जी एवं सोयाबीन	आटा 10 किलो, सोयाबीन की बड़ी युक्त सब्जी 6 किलो, तेल/धी 500 ग्राम।
शुक्रवार	तहरी	100 ग्राम चावल एवं सब्जी (आलू, सोयाबीन एवं सामयिक–समय पर उपलब्ध मौसमी सब्जियां)	चावल 10 किलो, सब्जी सोयाबीन की बड़ी युक्त 6 किलो
शनिवार	सब्जी–चावल–सोयाबीन अथवा मीठा चावल/खीर	100 ग्राम चावल एवं सोयबीन तथा मसाले एवं ताजी सब्जिय	चावल 10 किलो, सब्जी–सोयाबीन 6 किलो।
		100 ग्राम चावल मानकानुसार दूध चीनी, मेवे का मिश्रण	चावल 10 किलो, दूध 10 लीटर एवं चीनी 3 किलो

अध्याय – 6
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

भारत सरकार की शैक्षिक नीति एवं सुझाव के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना की गयी है। परिषद् की स्थापना का मूल उद्देश्य शैक्षिक शोध, सेवापूर्व एवं सेवारत शिक्षकों का अकादमिक निर्देशन एवं उनकी प्रशिक्षण व्यवस्था प्रकाशन, विस्तार आदि है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित मूल्य यथा–समाजवाद, धर्म निरपेक्षता, लोकतन्त्रात्मकता एवं अन्य घटकों जैसे सांस्कृतिक धरोहर, मानवीय मूल्य, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास आदि को क्रियान्वित करना है।

परिषद् प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं शिक्षक–शिक्षा क्षेत्र में शैक्षिक गुणवत्ता की अभिवृद्धि करने की दिशा में सतत् गतिशील है। परिषद के अन्तर्गत निम्नलिखित इकाइयाँ क्रियाशील हैं–

परिषद् की इकाइयाँ

1. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (राज्य शिक्षा संस्थान), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. विज्ञान और गणित विभाग (राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. इन्स्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडीज इन एजूकेशन (आई0ए0एस0ई0), उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. मनोविज्ञान और निदेशन विभाग (मनोविज्ञानशाला), उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग (राज्य हिन्दी संस्थान), उ0प्र0, वाराणसी।
6. अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषा विभाग (आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान), उ0प्र0, इलाहाबाद।
7. कालेज ऑफ टीचर एजूकेशन, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ।
8. राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, आगरा एवं इलाहाबाद।

9. राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर एवं इलाहाबाद।

10. जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, (70)।

उद्देश्य और कार्यक्रम

परिषद् के बहुआयामी कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों को संकल्पित किया गया हैं–

- शिक्षा के गुणात्मक–उन्नयन की दृष्टि से क्रियात्मक अनुसंधान करना, अनुसंधानों का समन्वयन करना, क्रियान्वयन करना तथा उन्हें प्रोत्साहन देना।
- सेवा पूर्व तथा सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षणों की व्यवस्था करना।
- शैक्षिक अनुसंधानों और प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को आवश्यक परामर्श देना।
- नवीनतम एवं श्रेष्ठ शिक्षण विधियों तथा विशिष्ट कार्यक्रमों एवं उनके क्रियान्वयन से सम्बन्धित योजना को विद्यालयों तथा शैक्षिक आयोजकों तक पहुँचाना।
- शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु राज्य के शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षिक संस्थाओं और कतिपय अभिकरणों से सहयोग प्राप्त करना।
- शैक्षिक नवाचारों, अभिनव, प्रवृत्तियों, नवीन प्रविधियों तथा अद्यतन सूचनाओं का संग्रह और प्रचार करना एवं विभिन्न अभिकरणों को प्रेरित करना।
- विद्यालयीय शिक्षा को स्तर को उन्नत बनाने की दृष्टि से राज्य प्रशासन तथा अन्य अभिकरणों को परामर्श देना।
- पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, संदर्शिका, प्रशिक्षण पैकेज, शिक्षण सामग्री तथा अन्य उपयोगी साहित्यों का विकास, प्रकाशन एवं प्रचार–प्रसार करना।
- परिषद् के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सभी प्रकार के आवश्यक कार्यों का सम्पादन।
- सरकार द्वारा संदर्भित शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमों का आयोजन।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिषद् अपने सीमित मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के माध्यम से निरन्तर प्रयासरत है।

165 शिक्षा 6

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन विभिन्न इकाइयों के द्वारा कृत कार्यों का विवरण निम्नवत् है–

1. प्रशिक्षण
2. कार्यशाला / विचारगोष्ठी
3. शोध / अध्ययन / सर्वेक्षण
4. प्रकाशन
5. अन्य विशिष्ट कार्य

प्रशिक्षण

1. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, मुख्यालय, लखनऊ

- नवम्बर 2007 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों तथा बी0आर0सी0 समन्यकों हेतु शिक्षण कौशल विकास के लिए सूक्ष्म शिक्षण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- मई 2007 में बेवसाइट मॉनिटरिंग संबधी प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य / संकाय सदस्यों तथा इकाई संकाय सदस्यों के लिए चार फेरों में आयोजित किया गया।
- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों में क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च करने की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से मई 2007 में तीन फेरों में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गयी।
- परिषद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों में प्रशिक्षण क्षमता को समृद्ध करने के उद्देश्य से डायरेक्ट ट्रेनर्स स्किल (डी0टी0एस0) प्रशिक्षण तथा डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग (डी0ओ0टी0) प्रशिक्षण हेतु उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल तथा उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ, मई–जून, 2007 में भेजा गया।
- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों को विद्यालयी बच्चों की स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु प्रशिक्षण करने के उद्देश्य से चार दिवसीय प्रशिक्षण पांच फेरों में 2007 में आयोजित किया गया।

परिषद के नियंत्रणाधीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा शासन के निर्देशानुसार 60,000 स्नातक प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2007 हेतु कार्यवाही की जा रही है।

सितम्बर अक्टूबर 2007 में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2007 के मॉड्युल के संबंध में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य/ संकाय सदस्यों तथा प्रत्येक जनपद के दो बी0आर0सी0 समन्वयकों तथा दो ए0बी0एस0ए0 हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

जुलाई--सितम्बर 2007 से यूनिसेफ सहायतित गुणवत्ता संवर्द्धन कार्यक्रम परिषद द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के 21 जनपदों के 21 ब्लॉक को चयनित किया गया है। प्रत्येक जनपद के 4 अध्यापकों/डायट के शिक्षकों को मास्टर्स ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षित मास्टर्स ट्रेनर्स द्वारा चयनित विकास खण्ड के 40 शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ललितपुर जनपद को मॉडल जनपद मानते हुए उसका भ्रमण भी मास्टर्स ट्रेनर्स को कराया गया।

जुलाई–अगस्त 07 एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली द्वारा नवीन विद्यालयी पुस्तकों के संदर्भ में प्रदेश के के0वी0एस0/एन0वी0एस0/सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के विद्यालयों के अध्यापकों हेतु टेलीकान्फ्रेसिंग एजूसेट नेटवर्क के माध्यम से 36 दिवसीय अनुस्थापन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसके साथ ही नवम्बर, 2007 में व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में एजूसेट नेटवर्क के माध्यम से प्रदेश के इण्टर कॉलेज के प्रधानाचार्यों का अनुस्थापन प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

एन0सी0एफ0–2005 के संदर्भ में 26–30 नवम्बर, 2007 की अवधि में एस0सी0ई0आर0टी0, एस0आई0ई0, आई0ए0एस0ई0, सी0टी0ई0, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षक–प्रशिक्षकों हेतु पांच दिवसीय अनुस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों तथा बी0आ0सी0 समन्वयकों हेतु दिसम्बर 2007 से जनवरी 2008 तक शैक्षिक शोध/ सर्वेक्षण

तथा आख्या लेखन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन फेरों में आयोजित किया जायेगा।

2. **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (राज्य शिक्षा संस्थान), उ0प्र0, इलाहाबाद**

- माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 'पर्यावरण शिक्षा' को एक अलग विषय के रूप में लागू कर दिया गया है। प्रदेश में कक्षा 6,7 एवं 8 के लिए इस विषय की अलग–अलग पाठ्यपुस्तकें भी बच्चों को उपलब्ध कराई गयी है जिनके माध्यम से सीखने–सिखाने की प्रक्रिया संचालित है। पाठ्यपुस्तकों में विषयवस्तु का प्रस्तुतीकरण के तौर–तरीके अपेक्षाकृत नवीन एवं गतिविधि आधारित होने के कारण शिक्षकों को सम्बन्धित विषय सामग्री के शिक्षण में कठिनाई की अनुभूति होती है। इन कठिनाइयों के निवारण के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक कक्षाओं की पर्यावरणीय विषय की समेकित शिक्षक संदर्शिका आधारित 6 दिवसीय मास्टर–ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 फेरों में आयोजित किया जा रहा हैं प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स अपने–अपने जनपद के समस्त शिक्षकों को इस विषय के शिक्षण की तकनीकी से अवगत करायेंगे।
- बी0टी0सी0 के पाठ्यक्रम की समीक्षा के बाद एन0सी0एफ0 2005 के सन्दर्भ में नया पाठ्यक्रम विकसित किया गया है। जिसमें चार सेमेस्टर में आठ प्रश्नपत्रों को समाहित किया गया है। इस संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवापूर्व (बी0टी0सी0) पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण मॉड्यूल के सम्प्रेषण हेतु प्रत्येक डायट के दो–दो सदस्यों का 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 4 चक्रों में किया जाना प्रस्तावित है।
- प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक विषय से सम्बन्धित अलग–अलग शिक्षक संदर्शिका विकसित की गयी है। ऐसा संज्ञान में आया है कि कतिपय कारणों से विषय शिक्षण के समय शिक्षक इन संदर्शिकाओं का उपयोग नहीं करते हैं। इस सन्दर्भ में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गता प्राथमिक स्तरीय शिक्षक संदर्शिका का गुणवत्तापूर्ण प्रयोग करने की विधा से परिचित कराने हेतु मास्टर–ट्रेनर्स का 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 चक्रों में किया जाना प्रस्तावित है।

3. **विज्ञान और गणित विभाग (राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान), उ0प्र0, इलाहाबाद**

- सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत डायट संकाय/बी0आर0सी0 समन्वयकों का उच्च प्राथमिक स्तरीय विज्ञान तथा गणित में पाठ्यपुस्तकों एवं शिक्षक संदर्शिका आधारित छः दिवसीय प्रशिक्षण 10 फेरों में आयोजित किया जा रहा है जिसमें विज्ञान में 350 तथा गणित में 350 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य है। इस प्रशिक्षण में बी0आर0सी0 समन्वयक अपने ब्लॉक के विद्यालयों से जुड़े अध्यापकों को शिक्षण संदर्शिका का गुणवत्तापूर्वक प्रयोग करने की विधा से परिचित कराने में सक्षम होंगे।
- इण्टर स्तरीय जीवविज्ञान एवं गणित विषय के प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण साहित्य 'जीव विज्ञान की विविधताएं' एवं 'गणित की बारीकियों पर आधारित छः–छः दिवसीय मास्टर--ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम दो चक्रों में प्रस्तावित हैं जिसमें चयनित 10 जनपदों से 5 प्रवक्ता प्रति जनपद आमंत्रित होंगे।

4. **आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, उ0प्र0, इलाहाबाद**

- 89वें डिप्लोमा कोर्स हेतु 18 शिक्षक एवं 15 स्नातकोत्तर छात्र/छात्राओं का चयन करके 9 अगस्त 2007 से उनके प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ किया गया।
- 62वां वाचन प्रवीणता कोर्स (9 अगस्त, 2007 से 29 अक्टूबर, 2007 तक) सम्पन्न किया गया।
- उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के सन्दर्भ में प्रत्येक जनपद से पांच–पांच मास्टर–ट्रेनर्स का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सात फेरों में प्रस्तावित है।
- प्रदेश के प्रत्येक जनपद से 5--5 सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों/एस0डी0आई0 का अंग्रेजी भाषा के शिक्षण कार्य का निरीक्षण विषयक 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सात फेरों में प्रस्तावित है।
- राज्य द्वारा अनुदानित आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत डायट के शिक्षकों का प्रशिक्षण फरवरी 2008 में प्रस्तावित है।

5. **मनोविज्ञान और निदेशन विभाग (मनोविज्ञानशाला), उ0प्र0 इलाहाबाद**

- राष्ट्रीय प्रतिभा खोज (एन0टी0एस0) मुख्य परीक्षण के पूर्व मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्रों (लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, बरेली, आगरा) तथा मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद में 8 मई से 12 मई से प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें अर्ह परीक्षार्थियों को विषय विशेषज्ञों द्वारा विषयों के कठिन सम्बोधों को तथा सामान्य मानसिक योग्यता के पदों को हल करने सम्बन्धी गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- राष्ट्रीय प्रतिभा खोज (एन0टी0एस0) राज्य स्तरीय (प्रथम चयन) परीक्षा हेतु प्रदेश के 70 जनपदों के परीक्षा केन्द्रों के विद्यालयों के प्रवक्ताओं को संदर्भदाताओं के रूप में प्रशिक्षित करने हेतु तीन दिवसीय 5 चक्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- एन0टी0एस0 राज्य स्तरीय (प्रथम चयन) परीक्षा हेतु प्रदेश के 70 जनपदों के परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र एवं छात्राओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

6. **राज्य हिन्दी संस्थान, उ0प्र0, वाराणसी**

- नियमित कार्ययोजनाओं के अन्तर्गत पांच दिवसीय हिन्दी भाषा स्तरोन्नयन पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन चक्रों में सम्पादित किया जा रहा है।
- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ध्वनि व्यवस्था, उच्चारण तथा वर्तनी सुधार सम्बन्धी, मास्टर ट्रेनर्स का चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दस चक्रों में सम्पादित किया जा रहा है।

7. **उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, उ0प्र0, इलाहाबाद**

- डायट के अधिकारियों एवं अन्य प्रशिक्षुओं को संदर्भदाता के रूप में पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, लखनऊ द्वारा पांच दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 6, 7, 8 के शिक्षकों का पर्यावरणीय अध्ययन विषयक छः दिवसीय प्रशिक्षण 10 फेरों में आयोजित किया जा रहा है।

8. **राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, इलाहाबाद**

- सी0टी0 (नर्सरी) प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की छात्राध्यापिकाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

9. **राज्य महिला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद**

- डी0पी0एड0 प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में 25–25 छात्राध्यापिकाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- खेल एवं शारीरिक शिक्षा का छः दिवसीय सेवारत प्रशिक्षण पांच फेरों में आयोजित किया जा रहा है।
- डी0पी0एड0 प्रथम एवं द्वितीय की छात्राध्यापिकाओं को प्राणायाम व योगा सम्बन्धी दस दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम नवम्बर माह में सम्पन्न हुआ।

10. **कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन (सी0टी0ई0), इलाहाबाद**

- कक्षा 6, 7 एवं 8 के गणित एवं विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तकों पर आधारित टी0एल0एम0 से सम्बन्धित पांच दिवसीय प्रशिक्षण दस फेरों में आयोजित किया जा रहा है।

11. **कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन (सी0टी0ई0), लखनऊ**

- पूर्व माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का गणित एवं विज्ञान का छः दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।

12. **कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन (सी0टी0ई0), वाराणसी**

- पूर्व माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का गणित एवं विज्ञान का छः दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।

कार्यशाला/विचार गोष्ठी

1. **राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, मुख्यालय, लखनऊ**

- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों तथा बी0आर0सी0 समन्वयकों हेतु सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबन्धन विषयक अधिगम सामग्री का विकास संबंधी कार्यशाला तीन फेरो में जनवरी 2008 में प्रस्तावित है।

- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों तथा बी0आर0सी0 समन्वयकों हेतु अध्यापकों को शिक्षण कार्य हेतु अभिप्रेरित करने विषयक कार्यशाला का आयोजन तीन फेरों में जनवरी–फरवरी, 2008 में प्रस्तावित है।
- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों तथा बी0आर0सी0 समन्वयकों हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया एवं प्रश्नपत्रों का निर्माण संबंधी कार्यशाला तीन फेरों में जनवरी–फरवरी 2008 में प्रस्तावित है।
- 30 अक्टूबर 07 से 02 नवम्बर 2007 एन0सी0टी0ई0 / सी0ई0ई0 / एस0सी0ई0 आर0टी0 लखनऊ के सहयोग से शिक्षक–प्रशिक्षकों हेतु पर्यावरण शिक्षा पर हिन्दी भाषा की संसाधन पुस्तकों के विकास संबंधी तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

2. **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (राज्य शिक्षा संस्थान), उ0प्र0, इलाहाबाद**

- विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण, 2007 के अन्तर्गत – 'भारत में प्राथमिक शिक्षा', 'शिक्षण विधियां', 'बाल मनोविज्ञान', कम्प्यूटर आधारित शिक्षा', 'क्रियात्मक शोध', 'संगठनात्मक ढांचा', चुनौतियां, 'स्वास्थ्य एवं पर्यावरण शिक्षा', 'मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मूल्यांकन', 'पाठ्यक्रम', 'इण्डक्शन ऐण्ड एक्सपीरियंस, 'डी0पी0एड0 / बी0पी0एड0 (विशिष्ट मॉड्यूल)' आदि प्रशिक्षण सामग्रियों का विकास किया गया।
- पूर्व में प्राथमिक स्तरीय समस्त विषयों की शिक्षक संदर्शिकाएं विकसित की गयी है। कतिपय कारणों से कक्षा 4 की गणित एचं विज्ञान विषयों की शिक्षक–संदर्शिकाओं का विकास नहीं हो सका था। इन संदर्शिकाओं के अभाव में शिक्षकों को शिक्षण में कठिनाई होती थी। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 4 की विज्ञान एवं गणित विषय की शिक्षक संदर्शिकाओं का विकास छः दिवसीय तीन चक्रों की कार्यशाला में पूर्ण किया गया।
- सन् 2000 में शिक्षा मित्रों के लिए तीस दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल विकसित किया गया। इस मॉड्यूल के आधार पर नव चयनित शिक्षामित्रों को 30 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। इस पैकेज की समीक्षा एवं पुनः विकास आवश्यक है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षामित्र हेतु

30 दिवसीय प्रशिक्षण पैकेज की समीक्षा एवं विकास छः दिवसीय दो चक्रों की कार्यशाला में किया जाना प्रस्तावित है।

- एन0सी0एफ0–2005 के सन्दर्भ में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरीय पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें विकसित कर ली गयी है। विकसित सामग्री की समीक्षा विशेषज्ञों द्वारा कराया जाना है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा छः दिवसीय दो चक्रों की कार्यशाला में किया जाना प्रस्तावित है।

3. **विज्ञान और गणित विभाग (राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान), उ0प्र0, इलाहाबाद**

- उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान तथा गणित शिक्षण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री (टी०एल०एम०) विकास सम्बन्धी 5–5 दिवसीय 6 फेरों में कार्यशालाओं का आयोजन प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम में डायट संकाय सदस्य व विषय अध्यापक आमंत्रित है।
- उच्च प्राथमिक कक्षा में गणित तथा विज्ञान पाठ्यवस्तु का एजूसैट से सम्बन्धित टेलीकान्फ्रेंसिंग एवं प्रसारण हेतु स्क्रिप्ट लेखन कार्य 5 दिवसीय 6 फेरों की कार्यशाला में किया जा रहा है।
- विज्ञान प्रदर्श विकास सम्बन्धी कार्यशाला आयोजित की गयी।
- सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तरीय एन0सी0एफ0–2005 के सापेक्ष प्रदेश स्तरीय पाठ्यक्रम का संवर्धन किया जाना प्रस्तावित है।
- सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत हाई स्कूल विज्ञान तथा गणित प्रशिक्षण साहित्य का वर्ष 2003 के पाठ्यक्रम के संदर्भ में पुनरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।

4. **आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, उ0प्र0, इलाहाबाद**

- माह मई, 2007 में कक्षा 3 से 8 तक की पाठ्यपुस्तको की समीक्षा–अद्यतन करने, अवधारणात्मक त्रुटियों को दूर करने एवं संशोधन हेतु कार्यशाला आयोजित की गयी।

- प्राथमिक स्तर की अंग्रेजी विषय की पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा कार्यशाला 10 सितम्बर, 2007 से 15 सितम्बर, 2007 तक एवं 17 सितम्बर, 2007 से 22 सितम्बर, 2007 तक दो चक्रों में सम्पादित की गयी।
- उच्च प्राथमिक स्तरीय अंग्रेजी विषय की पुस्तकों की समीक्षा–कार्यशाला दो चक्रों में क्रमशः 24 सितम्बर से 29 सितम्बर, 2007 से 7 अक्टूबर 2007 तक प्रथम चक्र एवं 1 अक्टूबर, 2007 तक द्वितीय चक्र में आयोजित की गयी।
- उच्च प्राथमिक स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास 5–5 दिवसीय दो चक्रों कीं कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा सम्पादित किया गया।
- शिक्षकों के शिक्षण कार्य के निरीक्षण से सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं एस0डी0आई0 के प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल का विकास 5–5 दिवसीय 2 चक्रों की कार्यशाला में सम्पादित किया गया।
- विशिष्ट आवश्यकतापरक विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी शिक्षण को बोधगम्य बनाने हेतु दो चक्रों में एक कार्यशाला प्रस्तावित है।
- अंग्रेजी विषय के शिक्षण में उपयोगी टी0एल0एम0 को विकसित करने विषयक कार्यशाला नवम्बर, 2007 में हुई।
- टी0ई0ए0एफ0एल0यू0 के तत्वावधान में एक लैंग्वेज गेम पर आधारित राष्ट्रीय कार्यशाला 18--20 दिसम्बर, 2007 से प्रस्तावित है।
- माह फरवरी, 2008 में राज्य द्वारा अनुदानित आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत डायट के शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है।

5. मनोविज्ञान और निदेशन विभाग (मनोविज्ञानशाला), उ0प्र0, इलाहाबाद

- राज्य स्तरीय राष्ट्रीय प्रतिभा खोज हेतु सामान्य मानसिक योग्यता एवं शैक्षिक अभिरूचि सम्बन्धी प्रश्नपत्रों का विकास पांच–पांच दिवसीय दो चक्रों की कार्यशाला में पूर्ण किया गया।
- एन0टी0एस0 राज्य स्तरीय (प्रथम चयन) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण हेतु सामान्य मानसिक योग्यता तथा शैक्षिक अभिरूचि सम्बन्धी प्रश्नपत्रों के निर्माण तथा अन्तिम रूप देने हेतु पांच–पांच दिवसीय दो चक्रों में कार्यशाला आयोजित की गयी।

- 'मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्मित प्राथमिक स्तरीय अभिक्षमता और निदानात्मक परीक्षणों की प्रयोगविधि–सम्बन्धी प्रशिक्षण' देने हेतु मॉड्यूल का निर्माण, ट्राई आउट परीक्षण एवं समीक्षा कार्य पूर्ण किया गया।

6. राज्य हिन्दी संस्थान, उ0प्र0, वाराणसी

- एन0सी0एफ0–2005 के परिपेक्ष्य में कक्षा 6, 7 व 8 की हिन्दी तथा संस्कृत विषय की पाठ्यपुस्तकों का संशोधन, परिमार्जन एवं परिवर्धन कार्य क्रमशः 7 एवं 8 दिवसीय कार्यशालाओं में सम्पादित किया गया।
- प्राथमिक स्तर पर हिन्दी तथा संस्कृत भाषा के शिक्षण में सहायक आडियो–वीडियों कैसटों के निर्माण एवं रिकार्डिंग हेतु स्क्रिप्ट लेखन पांच दिवसीय कार्यशाला में किया गया।
- उच्च प्राथमिक स्तर पर हिन्दी तथा संस्कृत भाषा के शिक्षण में सहायक आडियो–वीडियों कैसटों के निर्माण एवं रिकार्डिंग हेतु स्क्रिप्ट लेखन क्रमशः चार, पांच व छः दिवसीय तीन कार्यशालाओं में किया जाना प्रस्तावित है।
- प्राथमिक स्तर पर भाषा सम्प्राप्ति मूल्यांकन हेतु उपकरण निर्माण पांच दिवसीय दो चक्रों की कार्यशाला में किया जाना प्रस्तावित है।
- नियमित कार्ययोजना के अन्तर्गत पूर्व माध्यमिक स्तर के संस्कृत विषय की पाठ्यपुस्तकों में आये हुए सन्धि एवं कारक नियमों का विश्लेषणात्मक अध्ययन सम्बन्धी चार दिवसीय कार्यशाला प्रस्तावित है।
- 'सुदामा पाण्डे' पर जनवरी 2008 तथा 'पं0 हजारी प्रसाद द्विवेदी' पर फरवरी, 2008 में विचार गोष्ठी का आयोजन प्रस्तावित है।

7. उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, उ0प्र0, इलाहाबाद

- माध्यमिक स्तर (कक्षा 6, 7 व 8) के शिक्षकों के लिए पर्यावरणीय अध्ययन विषयक टी0एल0एम0 निर्माण छः दिवसीय चार चक्रों की कार्यशाला में पूर्ण किया गया।

8. राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, इलाहाबाद

- 20 अगस्त, 2007 को तुलसी जयन्ती के अवसर पर विचार–गोष्ठी का आयोजन किया गया।

- 31 अगस्त, 2007 को शिशुओं के सर्वांगीण विकास पर विचार–गोष्ठी आयोजित की गयी।
- 5 सितम्बर, 2007 को शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉ0 राधाकृष्णन के दार्शनिक विचारों पर गोष्ठी का आयोजन किया गया।

9. राजकीय महिला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद

- कक्षा 6, 7, 8 की 'खेल एवं शारीरिक शिक्षा' विषय से सम्बन्धित प्रशिक्षण साहित्य के विकास हेतु कार्यशाला आयोजित की गयी।

10. कॉलेज ऑफ टीचर एजूकेशन, इलाहाबाद

- कक्षा 6, 7, 8 के गणित एवं विज्ञान विषय के पाठ्यपुस्तकों पर आधारित टी0एल0एम0 निर्माण विषयक पांच दिवसीय चार चक्रों में कार्यशालाएं आयोजित की गयी।

शोध / अध्ययन / सर्वेक्षण

1. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, मुख्यालय, लखनऊ

- राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय संस्थाओं द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों को दिये गये प्रशिक्षण की प्रभाविता का अध्ययन गतिमान है।
- सत्र परीक्षा एवं विद्यालय श्रेणीकरण का विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों पर प्रभाव विषय पर अध्ययन गतिमान है।
- 30 अक्टूबर 07 से 02 नवम्बर 2007 एन0सी0टी0ई0 / सी0ई0ई0 / एस0सी0ई0 आर0टी0 लखनऊ के सहयोग से शिक्षक–प्रशिक्षकों हेतु पर्यावरण शिक्षा परक हिन्दी भाषा की संसाधन पुस्तकों के विकास संबंधी तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

2. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (राज्य शिक्षा संस्थान), उ0प्र0, इलाहाबाद

- वर्ष 2005 मे बच्चों में पठन–क्षमता विकास के सन्दर्भ में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 'पठन क्षमता विकास के संदर्भ में आयोजित प्रशिक्षण की प्रभावात्मकता का अध्ययन' विषयक क्रियात्मक शोध किया जा रहा है।

3. **विज्ञान और गणित विभाग (राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान), उ0प्र0, इलाहाबाद**

- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तरीय विज्ञान शिक्षा के गुणवत्ता सम्वर्द्धन में शिक्षण अधिगम सामग्री (टी0एल0एम0)की भूमिका विषयक शोधकार्य किया जा रहा हैं।
- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तरीय वर्तमान परिवेश में गणित में शिक्षण अधिगम सामग्री (टी0एल0एम0) के प्रयोग की सार्थकता का मूल्यांकन विषयक शोधकार्य किया जा रहा है।

4. **आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, उ0प्र0, इलाहाबाद**

- ''प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का अंग्रेजी भाषा की संदर्शिका एवं प्रशिक्षण आधारित शिक्षण कार्य का सर्वेक्षण'' विषयक शोधकार्य प्रस्तावित है।

5. **उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद**

- सामाजिक विषय के अध्यापन हेतु दिये गये प्रशिक्षण की कक्षा शिक्षण में पड़ने वाली प्रभावकारिता का अध्ययन विषयक शोधकार्य किया जा रहा है।

6. **राज्य हिन्दी संस्थान, उ0प्र0, वाराणसी**

- प्रदेश के आठ जनपदों में 'उच्च प्राथमिक स्तर पर हिन्दी भाषा सम्प्राप्ति का अध्ययन' विषयक शोध कार्य किया जा रहा है।

प्रकाशन

1. **राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, मुख्यालय, लखनऊ**

- शैक्षिक प्रेक्षक द्वितीय अंक के प्रकाशन की कार्यवाही गतिमान है।
- विभिन्न शैक्षिक शोध तथा सम्पूर्ण गुणवत्ता संवर्द्धन सामग्री का प्रकाशन/मुद्रण मार्च 2008 में कराया जायेगा।

2. **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (राज्य शिक्षा संस्थान), उ0प्र0, इलाहाबाद**

- उत्तर प्रदेश की शिक्षा सांख्यिकी (तुलनात्मक एवं प्रगतिदर्शक) 2006–07 उन्नीसवें अंक हेतु आंकड़ों का संकलन, सारणीयन कार्य किया जा रहा है।
- परिषद समाचार पत्र 'राशैप' के 45वें 46वें व 47वें अंक के प्रकाशन हेतु
- समाचार संकलन एवं लेखन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 48वें अंक हेतु समाचार संकलन एवं लेखन कार्य जनवरी 2008 में किया जायेगा।

- संस्थान की वार्षिक पत्रिका 'स्पन्दन' के छठवें अंक हेतु लेखन कार्य किया जा रहा है।

3. **विज्ञान और गणित विभाग (राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान), उ0प्र0, इलाहाबाद**

- विज्ञान संगोष्ठी 2006 की विवरणिका का प्रकाशन।
- विज्ञान प्रदर्शनी 2006 की विवरणिका।
- अनुदर्शन अंक –7 (वार्षिकी) का प्रकाशन।
- संस्थान का परिचय संबंधी फोल्डर।

4. **आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, उ0प्र0, इलाहाबाद**

- वार्षिक बुलेटिन के प्रकाशन हेतु लेखन एवं संकलन का कार्य किया जा रहा है।
- संस्थान द्वारा प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर के शिक्षक की कुशलता विकास हेतु सहायक पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए लेखन एवं संकलन का कार्य किया जा रहा है।

5. **राजकीय महिला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद**

- महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका 'अभिव्यक्ति' के द्वितीय अंक का प्रकाशन प्रस्तावित है।
- कक्षा 6, 7, 8 की 'खेल एवं शारीरिक शिक्षा' विषय की नवविकसित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित संदर्शिका का प्रकाशन किया गया।
- वार्षिक पत्रिका 2006 का प्रकाशन प्रस्तावित है।

6. **राज्य हिन्दी संस्थान, उ0प्र0, वाराणसी**

- त्रैमासिक पत्रिका 'वाणी' के 25, 26, 27 व 28वें अंक हेतु लेखन कार्य किया गया।

अन्य विशिष्ट कार्य

1. **राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, मुख्यालय, लखनऊ**

- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों हेतु दिसम्बर 2007–मार्च 2008 में मूल्य शिक्षा एवं संवैधानिक अधिकार–एक जागरूकता अभियान कार्यक्रम प्रस्तावित है।

- पर्यावरण प्रदूषण एवं संरक्षण–एक जागरूकता अभियान प्रत्येक जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और बी0आर0सी0 में दिसम्बर 2007–मार्च 2008 तक प्रस्तावित है।
- परिषद तथा उसके नियंत्रणाधीन जिला शिक्षा एव प्रशिक्षण संस्थान तथा इकाइयों द्वारा वर्ष 2007–08 में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसके अन्तर्गत लगभग –कुल 15,000 पौधों का रोपण किया गया।

2. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (राज्य शिक्षा संस्थान), उ0प्र0, इलाहाबाद

- विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2007 के सन्दर्भ में रिसोर्स परसंस के रूप में प्रदेश के समस्त डायट्स के प्राचार्यों को, ए0बी0एस0ए0 को, बी0आर0सी0 के समन्वयकों को, निदेशक परिषद के संरक्षण में तथा प्राचार्य, राज्य शिक्षा संस्थान, उ0प्र0, इलाहाबाद के नेतृत्व में संस्थान की टीम द्वारा अलग–अलग फेरों में प्रशिक्षण परिषद मुख्यालय, लखनऊ में दिया गया।
- माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट शिक्षा के अन्तर्गत इलाहाबाद, वाराणसी और मिर्जापुर मण्डलों के समस्त 11 जनपदों के शिक्षकों तथा बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट शिक्षा के प्रशिक्षकों द्वारा कम्प्यूटर साक्षरता सम्बन्धी 12–12 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें प्रतिफेरा अधिकतम 20 प्रतिभागी प्रशिक्षित किये जा रहे हैं।
- संस्थान के प्राचार्य द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद, बेसिक शिक्षा परिषद तथा परीक्षा नियामक प्राधिकारी (विभागीय परीक्षायें) की बैठकों में सदस्य के रूप में समय–समय पर प्रतिभाग किया गया।
- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की शैक्षिक स्थिति के पर्यवेक्षण हेतु संस्थान के अधिकारियों द्वारा शैक्षिक भ्रमण किया जायेगा।
- संस्थान परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

3. आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, उ0प्र0 इलाहाबाद

- संस्थान के प्राचार्य द्वारा आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान भोपाल में इम्पॉरटेन्स ऑफ टेक्स्टबुक विषयक दो दिवसीय गोष्ठी में प्रतिभाग किया गया।

- संस्थान की प्रवक्ता द्वारा केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद द्वारा आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया।
- संस्थान की प्रवक्ता द्वारा साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय, लखनऊ द्वारा आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभाग किया गया।
- दिनांक 23, 24 एवं 31 अगस्त, 2007 को संस्थान के प्रवक्ता डॉ0 अनूप कुमार तिवारी ने साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय, लखनऊ में आयोजित जनपद स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के सन्दर्भदाता के रूप में प्रतिभाग किया एवं मास्टर– ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया।
- संस्थान के प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं द्वारा आंग्ल भाषा संस्थान, कोलकाता में प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर पर श्रवण एवं वाचन पर आधारित पाठ्य सामग्री विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रतिभाग किया गया।

4. मनोविज्ञान और निदेशन विभाग (मनोविज्ञानशाला), उ0प्र0, इलाहाबाद

- दिनांक 16.10.2007 से 18.10.07 तक की तिथियों में निर्देशन एवं परामर्श विषयक निःशुल्क बाल शिविर का आयोजन मनोविज्ञानशाला, उ0प्र0, इलाहाबाद में किया गया जिसमें संस्था के मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा बालकों को हकलाना, चिन्ता, भय, जिद्द, पढाई में पिछड़ापन, परीक्षा सम्बन्धी भय एवं एकाग्रता का अभाव आदि विभिन्न समस्याओं का निदान कर परामर्श एवं सुझाव प्रदान किये गये।

5. राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, इलाहाबाद

- महाविद्यालय की छात्राध्यापिकाओं द्वारा दशहरा, दीपावली, होली–मिलन, ईद, जन्माष्टमी, श्रमदान, भ्रमण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रोजेक्ट रूप में सम्पादित किया जा रहा है।
- गांधी जयन्ती, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवसों को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया गया।
- चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर बाल मेले का आयोजन किया गया।
- स्वामी विवेकानन्द जयन्ती, नेताजी सुभाषचन्द्र जयन्ती एवं शहीद दिवस पर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

- बाल मन्दिर के नन्हें-मुन्ने शिशुओं द्वारा बाल–क्रीडा समारोह का आयोजन किया जायेगा।

6. **राज्य हिन्दी संस्थान, उ0प्र0, वाराणसी**

- पूर्व माध्यमिक स्तरीय हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों में सम्मिलित रचनाकारों के जीवनवृत्त एवं कृतित्व का संकलन एवं प्रकाशन किया जाना प्रस्तावित है।

7. **राजकीय महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद**

- 31 जुलाई 2007 को वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न किया गया जिसमें मुख्य अतिथि डॉ0 वी0के0 शुक्ला, वैज्ञानिक बोटैनिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, इलाहाबाद मुख्य अतिथि रहे तथा वृक्ष लगाने के साथ ही औषधीय पौधों पर विशेष व्याख्यान दिया।
- छात्राध्यापिकाओं में स्वस्थ स्पर्धा की भावना के विकास हेतु 2 एवं 3 अप्रैल 2007 को अभिरूचि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- महाविद्यालय पर समय–समय पर छात्राध्यापिकाओं को खेल सम्बन्धी परिवर्तित नवीन नियमों से अवगत कराने तथा क्रियान्वयन की क्षमता के विकास हेतु दो दिवसीय बॉस्केटबाल क्लीनिक, दो दिवसीय बॉलीबाल क्लीनिक, पांच दिवसीय बैडमिंटन क्लीनिक तथा छः दिवसीय एथलेटिक्स क्लीनिक आयोजित की गयी।
- 2 अक्टूबर 2007 को गांधी जयन्ती को 'अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया।
- खेलकूद वार्षिक समारोह जनवरी 2008 में आयोजित किया गया।

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) शिक्षक–शिक्षा कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु जनपद स्तरीय महत्वपूर्ण कड़ी है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं 6–14 वय वर्ग के प्रत्येक बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान करने के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में जनपद स्तर पर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका है।

165 शिक्षा 8

प्रदेश के समस्त जनपद केन्द्र पुरोनिधानित शिक्षक–शिक्षा योजना से आच्छादित है–

1 लखनऊ	2 उन्नाव	3 मझनपुर–कौशाम्बी
4 अजीतमल–औरैया	5 फरीदपुर–बरेली	6 बीसलपुर–पीलीभीत
7 बरूआसागर–झांसी	8 चरखारी–महोबा	9 फैजाबाद
10 पयागपुर–बहराइच	11 कांठ–मुरादाबाद	12 छोटा मवाना–मेरठ
13 बुलन्दशहर	14 सारनाथ–वाराणसी	15 पकवाइनार–बलिया
16 गोरखपुर	17 आगरा	18 बाद–मथुरा
19 फतेहपुर	20 नर्वल–कानपुर नगर	21 छिबरामऊ–कन्नौज
22 ददरौल–शाहजहांपुर	23 ललितपुर	24 रामपुर
25 मुजफ्फर नगर	26 राबर्ट्सगंज–सोनभद्र	27 हाथरस
28 हरदोई	29 गणेशपुर–बाराबंकी	30 जौनपुर
31 हापुड़–गाजियाबाद	32 बदायूं	33 रायबरेली
34 भोगांव–मैनपुरी	35 बड़ौत–बागपत	36 सैदपुर–गाजीपुर
37 पिण्डारी–जालौन	38 इरमाइलपुर–बिजनौर	39 दर्जीकुआँ–गोण्डा
40 गौतमबुद्ध नगर	41 सुल्तानपुर	42 पटेहराकला–मिर्जापुर
43 इमलिया–मऊ	44 जाफरपुर–आजमगढ़	45 पुखरायां–कानपुर देहात
46 खैराबाद–सीतापुर	47 राजापुर–लखीमपुर खीरी	48 बांसी–सिद्धार्थ नगर
49 सन्त कबीर नगर	50 नगलाअमान–फिरोजाबाद	51 अतरसंड–प्रतापगढ़
52 पटनी–सहारनपुर	53 हरचंदपुरकला–एटा	54 महराजगंज
55 इलाहाबाद	56 अलापुर–अम्बेडकर नगर	57 सन्त रविदास नगर
58 सुमेरपुर–हमीरपुर	59 कुशीनगर	60 ज्योतिबाफुले नगर
61 इकौना–श्रावस्ती	62 इटावा	63 चन्दौली
64 रजलामई–फर्रूखाबाद	65 रामपुर कारखाना देवरिया	66 बांदा
67 मडराक–अलीगढ़	68 प्लास्टिक काम्पलेक्स बस्ती	69 बलरामपुर
70 शिवरामपुर–चित्रकूट		

प्रदेश में वर्तमान समय में 70 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान क्रियाशील हैं। इन संस्थानों में निम्नांकित 7 इकाइयां (विभाग) हैं–

1. सेवापूर्व शिक्षक– शिक्षा विभाग।
2. कार्यानुभव विभाग।
3. जिला संसाधन इकाई।
4. सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षेत्रीय सम्पर्क एवं प्रवर्तन समन्वय विभाग।
5. पाठ्यक्रम सामग्री विकास तथा मूल्यांकन विभाग।
6. शैक्षिक तकनीकी।
7. नियोजन एवं प्रबंधन विभाग।

पद सृजन

वर्तमान में 70 जनपदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित 48 पद प्रति संस्थान सृजित किये जा चुके हैं।

केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की पद स्थापना की स्थिति–

क्रसं0	पद का नाम	वेतनक्रम	स्वीकृत पद
1.	प्राचार्य	10000–15,200	1
2	उप प्राचार्य	10,000–15,200	1
3	वरिष्ठ प्रवक्ता	8000–13,500	6
4	प्रवक्ता	6500–10,500	17
5	कार्यानुभव शिक्षक	5500–9000	1
6	सांख्यिकीकार	5500–9000	1
7	तकनीकी सहायक	5500–9000	1
8	कार्यालय अधीक्षक	5000–8000	1
9	पुस्तकालयाध्यक्ष	5000–8000	1
10	प्रयोगशाला सहायक	3050–4590	2
11	लेखाकार	4500–7000	1
12	आशुलिपिक	4000–6000	1
13	लिपिक	3050–4590	9
14	परिचारक	2550–3200	5

सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समर्पित एवं सुयोग्य अध्यापकों की उपलब्धता नितांत आवश्यक है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अध्यापकों के प्रारम्भिक शिक्षा में गुणात्मक विकास हेतु प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से प्रदेश के 70 जनपदों में स्थित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से निम्नांकित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं:–

सेवापूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम

- प्रदेश में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु 59 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट्स) में कुल 10450 बी0टी0सी0 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत 43 डायट्स में 200 सीट, 08 डायट्स में 150 सीट, 05 डायट्स में 100 सीट तथा 3 डायट्स में 50 सीटें आवंटित हैं। 11 नव सृजित डायट्स में 200 सीटों के आवंटन हेतु कार्यवाही गतिमान है।
- **विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण** के अन्तर्गत उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी। अर्हताधारी अभ्यर्थियों हेतु सैद्धान्तिक/प्रयोगात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से जनपदों में की गयी है।
- प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा मित्रों की व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण डायट्स के माध्यम से कराया जा रहा है।
- परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू प्रवीणताधारी शिक्षकों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से शासन के निर्देशानुसार दोवर्षीय बी.टी.सी. उर्दू विशेष प्रशिक्षण 2005 तथा 2006 हेतु शासन द्वारा अनुमन्य 8480 रिक्तियों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों को उक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा हैं।

सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम

- प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण जनपद स्थित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से संचालित किया गया।
- जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 कॉऑर्डिनेटर्स के लिए सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी।

- प्रदेश स्थित विद्यालयों में निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षक व्यवस्था हेतु विभिन्न जनपदों के अध्यापकों को डायट के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।
- बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को शिक्षा अधिगम हेतु विषयवार शिक्षा अधिगम सामग्री का निर्माण विद्यालय स्तर पर किया गया है। इसी क्रम में एन0पी0आर0सी0, बी0आर0सी0 पर शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रचार–प्रसार हेतु मेलों का आयोजन किया गया।
- प्रत्येक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जनपद स्तरीय टी0एल0एम0 मेला आयोजित किया गया।

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के अन्य विशिष्ट कार्य

- **भारत सरकार योजनान्तर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय**– अपवंचित वर्ग की वे बालिकायें जो विद्यालयी शिक्षा से वंचित हैं, उन बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। इस विद्यालय के संचालन हेतु जनपद स्तर पर एक समिति गठित की गयी है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, योजना प्रदेश के पिछड़े जनपदों में वर्ष 2004–05 में प्रारम्भ की गयी।
- विद्यालय श्रेणीकरण योजना सत्र परीक्षा व्यवस्था एवं विद्यालयों की नवीन श्रेणीकरण एवं निरीक्षण व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की नवीन अवधारणा को सुचारू रूप से लागू करने हेतु डायट की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। सत्र परीक्षा पूरे जनपद में डायट द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार की जायेगी। प्रत्येक सत्र परीक्षा से 15 दिन पूर्व परीक्षा कार्यक्रम बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 के माध्यम से समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराया जायेगा।
- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम डायट तथा विभिन्न इकाइयों के माध्यम से कराया गया।

शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (कालेज ऑफ टीचर एजूकेशन–सी0टी0ई0)

केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत कॉलेज ऑफ टीचर एजूकेशन के रूप में उच्चीकृत करने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में प्रदान की गयी।

सी0टी0ई0 के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त सी0टी0ई0 के उद्देश्य निम्नवत् है:

- माध्यमिक स्तर के अध्यापकों हेतु सेवापूर्व प्रशिक्षण व्यवस्था।
- माध्यमिक शिक्षकों हेतु विषय आधारित सेवाकालीन प्रशिक्षण व्यवस्था।
- माध्यमिक विद्यालयों एवं अध्यापकों हेतु संदर्भ सहायता उपलब्ध कराना।
- विद्यालयीय शिक्षकों का नवाचार।
- मूल्यपरक शिक्षा, कार्यानुभव शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी, कम्प्यूटर साक्षरता तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्रों का प्रशिक्षण एवं संदर्भ सहायता की व्यवस्था।

उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवान्स स्ट्डीज इन एजूकेशन –आई0ए0एस0ई0)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के इकाई के रूप में राजकीय सी0पी0आई0, इलाहाबाद को केन्द्र पोषित शिक्षक–शिक्षा योजनान्तर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टीडीज इन एजूकेशन (आई.ए.एस.ई.) के रूप में वर्ष 1985 में उच्चीकृत किया गया।

आई0ए0एस0ई0 की स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है–

- प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था।
- प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक–प्रशिक्षकों, माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा माध्यमिक विद्यालयों के निरीक्षकों हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था।
- उच्च स्तरीय शोध कार्य।
- डायट तथा सी0टी0ई0 को अकादमिक मार्गदर्शन करना।

सी0टी0ई0 और आई0ए0एस0ई0 द्वारा सर्व शिक्षा अभियान परियोजनान्तर्गत कृत गतिविधियाँ

- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सी0टी0ई0, लखनऊ / वाराणसी / इलाहाबाद द्वारा 8–8 फेरों में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को सामाजिक विषय सम्बन्धी प्रशिक्षण का कार्य सम्पन्न कराया गया।

परिषद के नियंत्रणाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि	प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था / संस्थाओं की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	बी0टी0सी0 (बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट)	2 वर्ष	56+14(*-i) 70	43 डायट्स में 200 सीट प्रति संस्था 8 डायट्स में 150 सीट एवं 5 डायट्स में 100 सीटें तथा 3 डायट्स में 50 सीटें आवंटित हैं। नवसृजित 11 डायट्स में 200 सीटों के आवंटन हेतु कार्यवाही गतिमान है।
2.	सी0टी0 (नर्सरी) (सर्टिफिकेट इन टीचिंग) (नर्सरी)	2 वर्ष	2(*-ii) इलाहाबाद आगरा	 34 30
3.	डी0पी0एड0 (डिप्लोमा इन फिजिकल एजूकेशन)	2 वर्ष	4(*-iii) इलाहाबाद रामपुर लखनऊ समोधपुर–जौनपुर	 25 50 25 25
4.	डी0जी0आई0पी0 (डिप्लोमा इन गाइडेन्स एण्ड साइकोलॉजी)	9 माह	1(*-iv) इलाहाबाद	15

टिप्पणी

(*-i) बी0टी0सी0–यह प्रशिक्षण जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में प्रदान किया जाता है, जो भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत खोले गये हैं।

(*-ii) सी0टी0 (नर्सरी) प्रशिक्षण की संस्थाएं–राजकीय नर्सरी प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद तथा आगरा में है।

(*-iii) डी0पी0एड0 निम्नांकित चार संस्थाओं में प्रदान किया जाता है:–

1. राजकीय महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।
2. राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर।
3. क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजूकेशन, लखनऊ।
4. श्री गांधी मेमोरियल फिजिकल ट्रेनिंग कालेज, समोधपुर–जौनपुर।

(*-iv) मनोविज्ञानशाला, उ0प्र0, इलाहाबाद।

अध्याय–7
राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कार्ययोजना– 1992 के आधार पर सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) की स्थापना वर्ष 1995 में की गई। यह एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसका संचालन सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अधीन गठित समिति द्वारा किया जाता है। संस्थान के क्रियाकलापों का प्रबन्धन निदेशक द्वारा कार्यकारिणी समिति जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव (शिक्षा)/सचिव (बेसिक शिक्षा) उ0प्र0 शासन होते है, के माध्यम से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2000–01 से यह संस्थान राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस संस्थान का प्रमुख प्रयोजन विकेन्द्रीकृत शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन के क्षेत्र में शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण शैक्षिक शोध, नवाचार तथा नवीन शैक्षिक प्रवृत्तियों का प्रसार और विस्तार करना है राज्य के निर्धारित भूमिका और कार्यों के अतिरिक्त उत्तरी भारत के हिन्दी राज्यों की शैक्षिक नियोजन और प्रबन्धन के क्षेत्र में आवश्कताओं की पूर्ति के लिए यह क्षेत्रीय शोध और संसाधन केन्द्र (रीजनल रिसर्च एण्ड रिसोर्स सेंटर) के रूप में कार्य कर रहा है। अपनी बहुआयामी गतिविधियों के सफलता पूर्वक संचालन के फलस्वरूप संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हुआ है तथा अपनी अलग पहचान बनायी है।

उद्देश्यः इस संस्थान की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् है–

- विकेन्द्रित शैक्षिक नियोजन और प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षा अधिकारियों/अभिकर्मियों के दक्षता संवर्द्धन हेतु सेवापूर्ण (इंडक्शन/आधारभूत) और सेवारत (बोधात्मक/पुनर्बोधात्मक) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का राज्य, संभाग, जनपद तथा क्षेत्रीय स्तर पर आयोजन करना।
- विद्यालयीय शिक्षा विशेषज्ञों के सहयोग से शिक्षा के नियोजन और प्रबन्धन के क्षेत्र में शोध, मूल्यांकन और प्रयोगों का संचालन करना।
- प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक नियोजन और प्रबंधन में व्यावसायिक तथा संसाधन अनुसमर्थन प्रदान करना।

- **शैक्षिक** नियोजन, प्रबंधन और आकलन के क्षेत्र में राज्य, राष्ट्रीय तथा **अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर** नवाचारों तथा सूचनाओं का अभिलेखन तथा प्रसार करना।
- **राज्य स्तरीय** तथा राज्येतर राजकीय तथा स्वैच्छिक संगठनों/संस्थानों तथा **अभिकरणों से शैक्षिक** नियोजन प्रबंधन तथा आकलन विषयक शोध, अनुश्रवण **और मूल्यांकन** तथा अन्य विकासोन्मुख कार्यक्रमों के क्षेत्र में सहयोग, संपर्क तथा **समन्वयन** (नेटवर्किंग) स्थापित करना।
- **विभिन्न नियोजन** विधाओं में शोध गतिविधियों (तुलनात्मक अध्ययनों सहित) का **संचालन, समुन्नयन** और समन्वयन करना।
- **उत्तर प्रदेश** के साथ–साथ भारत के अन्य राज्यों तथा अन्य संगठनों **को परामर्श सेवाएँ प्रदान करना।**

संगठनात्मक संरचनाः निदेशक के नेतृत्व में अकादमिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए **संस्थान में** पाँच विभाग एवं दो इकाइयाँ निम्नवत् हैं:–

विभागः

- नीति एवं नियोजन
- प्रबंधन
- शैक्षिक वित्त
- शोध, मूल्यांकन एवं शैक्षिक नवाचार
- सूचना प्रणाली प्रबंधन (एम.आई.एस.)

इकाईः

- प्रशिक्षण
- शोध

संस्थान की संगठनात्मक संरचना का रेखा चित्रीय निरूपण इस प्रकारः–

सामान्य समिति (जनरल बॉडी) : शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश शासन की **अध्यक्षता में** कार्यकारिणी समिति (एक्जीक्यूटिव कमेटी) : **प्रमुख सचिव (शिक्षा)/सचिव (बेसिक** शिक्षा) की अध्यक्षता में गठित

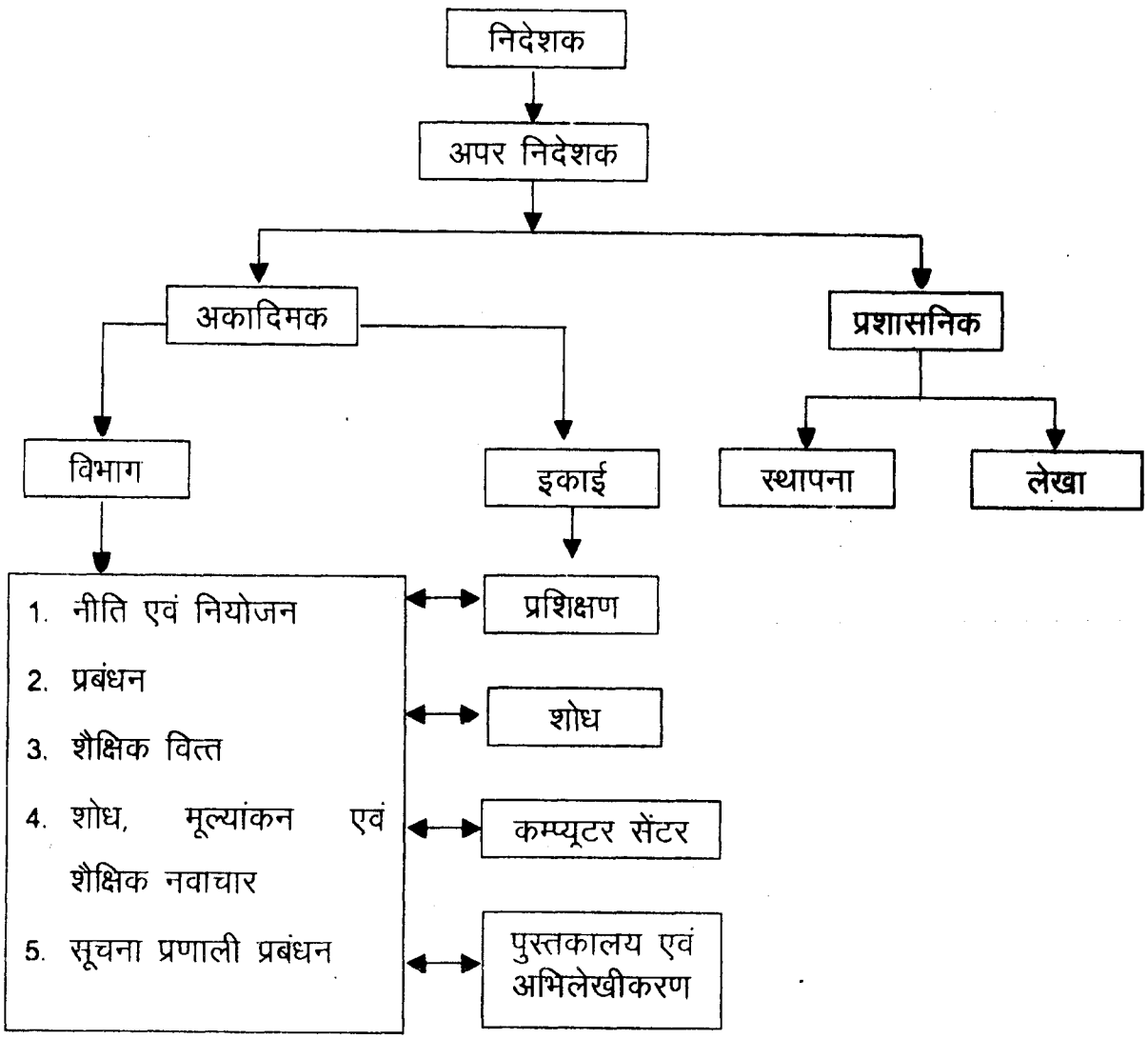

संस्थान में सृजित पदों का विवरणः

संस्थान में कुल 49 पद सृजित हैं। इनमें 16 पद अकादमिक संकाय तथा 33 पद अकादमिकेतर पक्ष के है। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

क्रमांक	पद	वेतनक्रम रू0	पदों की संख्या
	अकादमिक		
1.	निदेशक	18400–22400	01
2.	अपर निदेशक	14300–18300	01
3.	विभागाध्यक्ष	12000–16500	05
4.	प्रवक्ता / प्रशिक्षण अधिकारी / शोध अधिकारी / पुस्तकालयध्यक्ष / कम्प्यूटर प्रोग्रामर	8000–13500	09
5.	**अकादमिकेतर** वरिष्ठ लेखाधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी	10000–15200	02
6.	सहायक लेखाधिकारी / रिसर्च एसोशिएट / ट्रेनिंग एसोसिएट / सहायक पुस्तकालयध्यक्ष	6500–10500	04
7.	शोध सहायक / प्रशिक्षण सहायक / छात्रावास अधीक्षक / कम्प्यूटर आपरेटर / स्टेनोग्राफर / लेखाकार	5000–8000	09
8.	टाइपिस्ट / पुस्तकालय सहायक / स्वागती / केयरटेकर / ड्राइवर / ऑपरेटर	3050–4500	11
9.	मशीनमैन / चपरासी	2610–3540	7
	योग		**49**

कार्यक्षेत्र

संस्थान द्वारा कृत कार्यों को निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है:–

1. प्रशिक्षण
2. शोध
3. सेमिनार / कार्यशाला / संगोष्टी
4. प्रकाशन और प्रसार
5. परामर्श एवं मार्गदर्शन

प्रशिक्षण गतिविधियाँ

संस्थान द्वारा विभिन्न स्तर के शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक नियोजन एवं प्रबंधन के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है :–

(क) सेवापूर्व (इंडक्शन/आधारभूत) प्रशिक्षण 2007–08

ब्लाक स्तरीय नवनियुक्त शिक्षा अधिकारियों के लिए सेवापूर्व आधारभूत प्रशिक्षण की श्रृंखला प्रारम्भ की गयी। इसके अंतर्गत लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित तथा विभाग द्वारा नियुक्त 243 ब्लाक शिक्षा अधिकारियों (प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों/एस. डी.आई.) को विभिन्न फेरों में प्रशिक्षित किया गया।

(ख) सेवारत प्रशिक्षण 2007–08

सेवारत प्रशिक्षणों का आयोजन वर्ष 2007–08 में संस्थान द्वारा विभिन्न संवर्गों के अधिकारियों/अभिकर्मियों के क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इनमें कुछ प्रमुख प्रशिक्षण संवर्ग एवं उनके प्रकार अधोलिखित हैं–

- जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य, उप प्राचार्य
- जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्य
- उप बेसिक शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण
- नगर शिक्षा अधिकारी 2007–08
- सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक
- सूचना प्रबन्धन प्रणाली के अभिकर्ता/कम्प्यूटर ऑपरेटर
- जिला समन्वयक (प्रशिक्षण)
- प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय
- ब्लॉक / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक/सह समन्वयक

वर्ष 2007–08 में आयोजित विविध प्रशिक्षणों की तालिका

क्रम सं0	प्रशिक्षण का प्रकार	लक्ष्य समूह	प्रशिक्षण अवधि
1	ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयकों के प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण	बी.आर.सी. / एन.पी.आर.सी. समन्वयक, डायट मेंटर्स, जिला समन्वयक	5 दिवसीय
2	प्रभावी शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं अनुसमर्थन प्रशिक्षण	जनपद, ब्लाक, न्याय पंचायत स्तर के समन्वयक, डायट मेंटर्स, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, एस.डी.आई.	5 दिवसीय
3	शैक्षिक शोध प्रणाली एवं क्रियात्मक शोध प्रशिक्षण	शिक्षक, प्रधानाध्यापक, समन्वयक, डायट मेंटर्स एवं ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई.	03 दिवसीय
4	मध्याह्न भोजन योजना सम्बन्धी प्रशिक्षण	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई.	02 दिवसीय
5	नगर शिक्षा अधिकारियों का क्षमता संवर्द्धन प्रशिक्षण	नगर शिक्षा अधिकारी / सहायक नगर शिक्षा अधिकारी	03 दिवसीय
6	शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली (ई.एम.आई.एस.) के आंकड़ों का विश्लेषण	ई.एम.आई.एस. (इंचार्ज), जिला समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक	02 दिवसीय
7	प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों (एस.डी.आई) का आधारभूत प्रशिक्षण	लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित ब्लाक शिक्षा अधिकारियों (एस.डी.आई)	05 दिवसीय
8	डायट प्राचार्य, उप प्राचार्य का क्षमता संवर्द्धन प्रशिक्षण	डायट प्राचार्य, उप प्राचार्य	02 दिवसीय
9	जिला समन्वयकों का क्षमता संवर्द्धन प्रशिक्षण	जिला समन्वयक (प्रशिक्षण)	03 दिवसीय

(ग) **विशिष्ट संदर्भ आधारित प्रशिक्षण**–प्रशिक्षण आवश्यकताओं के आकलन/विश्लेषण तथा पश्चपोषण के फलस्वरूप समयानुकूल प्रासंगिक महत्वपूर्ण प्रकरणों/विषयों पर भी संस्थान द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किये जाते रहे हैं। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकरणों पर प्रशिक्षण आयोजित किये गये–

- जनपदों के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट निर्माण
- ई.एम.आई.एस. डाटा डिसेमिनेशन प्रशिक्षण

डिप्लोमा कोर्स इन एजूकेशनल मैनेजमेंट–

विगत वर्ष की भाँति वर्ष 2007–08 में 01 मई से 31 जुलाई 2007 तक डिप्लोमा इन एजूकेशनल मैनेजमेंट कोर्स संचालित किया गया। इस डिप्लोमा कोर्स का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों तथा भावी प्रधानाचार्यों को शैक्षिक प्रबंधन/प्रशासन का सम्यक ज्ञान प्रदान कर उनकी क्षमतां संवर्द्धन एवं कार्यनिष्पादन शैली में सुधार लाना है। डिप्लोमा इन एजूकेशनल मैनेजमेंट की कुल अवधि 6 माह निर्धारित की गई है। 3 माह तक प्रतिभागी सीमैट में नियमित उपस्थित होकर सैद्धान्तिक पक्ष को पूर्ण करते है तथा शेष 3 माह अपने कार्यक्षेत्र में रहकर किसी शैक्षिक समस्या पर शोध अध्ययन (प्रोजेक्ट कार्य) करते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007–08 में कुल 42 अभ्यर्थी डिप्लोमा कोर्स में प्रतिभाग कर रहे हैं।

कार्यशाला / विचार गोष्ठियों का आयोजन

विभिन्न समकालीन समस्याओं पर विचार विमर्श करने तथा शासन को नीति–निर्धारण में सहयोग और परामर्श प्रदान करने की दृष्टि से संस्थान में कार्यशालाओं और विचार गोष्ठियों का समय–समय पर आयोजन एक नियमित कार्य है। वित्तीय वर्ष 2007–08 में आयोजित कतिपय महत्वपूर्ण कार्यशालाएँ/विचार गोष्ठियां इस प्रकार है–

- सर्व शिक्षा अभियान वार्षिक कार्ययोजना निर्माण कार्यशाला
- क्रियात्मक शोध कार्यशाला

शोध क्रियाकलाप

सीमैट, शोध समस्याओं के चयन में वर्तमान समय की शैक्षिक चुनौतियों पर सदैव ध्यान केन्द्रित रहता है। विशेष रूप से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की

संवैधानिक प्रतिबद्धता की शतप्रतिशत उपलब्धि हेतु पहुँच नामांकन, ठहराव और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मार्ग में आने वाली समस्याओं पर शोध करता है। इस क्षेत्र में जहाँ नीति नियामकों को नीति निर्धारण में उपयोग हेतु अवगत कराता है वही अध्येताओं/नियोजकों और प्रबंधकों के क्षमता संवर्द्धन पर भी बल दिया जाता है।

संस्थान की शोध गतिविधियाँ

- सभी के लिये शिक्षा परियोजना कार्यक्रम तथा सर्व शिक्षा अभियान के तत्वावधान में शोध प्रशासन
- शोध परियोजनाएँ (सहयुक्त अथवा पोषित)
- क्रियात्मक शोध (चुने हुए विकास खण्डों में)
- शोध सेमिनार / कार्यशालाएँ
- प्रभाव / हस्तक्षेप / मूल्यांकन अध्ययन

अपने स्थापना काल रो वर्ष 2006--07 तक संस्थान ने 122 से अधिक शोध अध्ययन/परियोजनाएँ राज्य स्तर, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे किये हैं। वित्तीय वर्ष 2007–08 में संस्थान द्वारा निम्नलिखित शोध अध्ययन कराये जा रहे हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में सम्पादित कराये जा रहे "शोध अध्ययनों की सूची"

1. इवैल्ययूशन ऑफ द यूज आफ टी.एल.एम. ग्रान्ट बाई टीचर्स इन इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग लर्निंग ऐट प्राइमरी एण्ड अपर प्राईमरी लेविल्स।
2. इम्पैक्ट ऑफ वर्कबुक आन इम्प्रूविंग लर्निंग इन क्लास वन एण्ड टू।
3. असेसमेंट ऑफ फंगशनिंग आफ क्लस्टर स्कूल्य डेवलपमेंट अण्डर एन.पी.जी.ई.एल.।
4. इवैल्युशन स्टडी आन इफिक्टिवनेस आफ मीना मन्चेज सेट अप इन अपर प्राईमारी स्कूल।
5. ए कम्प्रेटिव स्टडी आफ एचीवमेंट लेविल्स आफ गर्ल्स आफ के.जी.बी.वी. एण्ड गर्ल्स आफ परिषदीय अपर प्राईमरी स्कूल्स।
6. असेसमेंट आफ इन्टरवेन्शन्स मेंड टू मीट द एजूकेशनल नीड्स आफ एस.सी./एस.टी.चिल्ड्रेन इन एस.एस.ए.

7. स्टडी ऑफ मेनस्ट्रीमिंग ऑफ चिल्ड्रेन फ्राम नान–रेजीडेन्शियल ब्रिज कोर्सेस टू फार्मल स्कूल्स।

8. इम्पैक्ट स्टडी ऑफ रेजीडेन्शियल ब्रिज कोर्सेस अन्डर आई.डी.।

9. ए स्टडी ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ इटीनिरेन्ट टीचर्स एण्ड रिर्सोस टीचर्स इन प्रोवाइडिंग सर्पोट सर्विसेज टू सी.डब्लू.एस.एन.

10. ए स्टडी ऑफ द आऊट कम आफ ललितपुर एक्सपेरीमेंट कन्डक्टेड इन एसोसिएशन विथ द यूनिसेफ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजूकेशन

11. ए स्टडी आन टीचर्स ऐबसेन्टीजम एण्ड स्टूडेन्ट्स अटेन्डेन्स

12. ए सैम्पल सर्वे आफ आऊट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन इन फाईव डिस्ट्रिक्ट।

क्रियात्मक शोध

संस्थान की देखरेख और मार्गदर्शन में अब तक कुल 475 से अधिक क्रियात्मक शोध पूर्ण किये जा चुके हैं। क्रियात्मक शोध कार्यशालाओं में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डायट), ब्लाक संसाधन केन्द्र के समन्वयकों, जिला समन्वयकों तथा प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को प्रतिभाग करने के लिए आमन्त्रित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2007–08 में लगभग 120 क्रियात्मक शोध विषयों पर कार्य किया गया है।

प्रकाशन

शिक्षा के क्षेत्र में उद्भूत नवाचारों, अभिनव प्रवृत्तियों, नवीन ज्ञान और कौशल से शिक्षा जगत को अवगत कराने हेतु संस्थान द्वारा प्रशिक्षण संदर्शिकाओं, शोध प्रतिवेदनों आदि से संबंधित साहित्य का आवश्यकतानुसार विकास एवं प्रकाशन किया जा रहा है। संदर्शिकाओं के माध्यम से प्राप्त पश्चपोषण तथा बदलते हुए परिवेश के अनुसार संदर्शिकाओं का परिमार्जन और संशोधन होता रहता है। इन प्रकाशनों को सम्बन्धित शिक्षकों, प्रशिक्षकों, शैक्षिक आयोजकों आदि को उपलब्ध कराना भी संस्थान सुनिश्चित करता है।

संस्थान के कतिपय महत्पूर्ण प्रकाशन निम्नवत हैं:–

1. **सीमैट न्यूज** (4 अंक) यह एक सूचना प्रधान त्रैमासिक प्रकाशन है। इसमें संस्थान की पहल और शैक्षिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है।

165 शिक्षा-10

2. **अभिनव** (4 अंक) यह त्रैमासिक शैक्षिक प्रबंधन पत्रिका है। इसमें शैक्षिक नियोजन और प्रबंधन से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर लेख/पत्रक प्रकाशित होते रहते हैं। संस्थान के संकाय सदस्यों एवं बाह्य संस्थाओं के विशेषज्ञ एवं आधारिक स्तर पर कार्य करने वाले शैक्षिक अभिकर्मियों के अनुभवों एवं सफलता के आख्यानों को प्रकाशित किया जाता है।

3. **संवर्द्धन** सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के दायित्वों एवं कार्य के सफल सम्पादन में सहयोग प्रदान करने के लिए इस प्रशिक्षण संदर्शिका का विकास किया गया है।

4. **समाधानः** जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों एवं अन्य शैक्षिक अभिकर्मियों को शोध प्रविधियों से अवगत कराने के लिए इस प्रशिक्षण संदर्शिका का विकास किया गया है।

5. **सहयोगः** प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में समुदाय के निहितार्थ को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षिक अभिकर्मियों को सामुदायिक सहभागिता के विभिन्न चरणों से अवगत कराने के लिए इस प्रशिक्षण संदर्शिका का विकास किया गया है।

6. **संकल्प** यह प्रधानाध्यापकों के निमित्त रचित प्रशिक्षण संदर्शिका है। इसका उद्देश्य प्रधानाध्यापकों को शिक्षा के सार्वभौमीकरण के सन्दर्भ में नयी चुनौतियों को अंगीकार करते हुए उनमें प्रभावी नेतृत्व क्षमता का संवर्द्धन करना है।

7. **वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी प्रशिक्षण संदर्शिकाः** यह माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के लिए तैयार की गई है। इनमें उन सभी पक्षों– अकादमिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय पक्षों को सम्मिलित किया गया है, जिनकी वरिष्ठ अधिकारियों को नित्यप्रति के कार्य निष्पादन में आवश्कता पड़ती रहती है।

8. **स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्राचार्य तथा क्षेत्रीय–शिक्षा अधिकारी, प्रशिक्षण संदर्शिकाः** इस प्रशिक्षण संदर्शिका का विकास प्राचार्यों तथा क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्कताओं की पहचान के फलस्वरूप की गई है।

9. **कार्यालय अभिकर्मी (उच्च शिक्षा) प्रशिक्षण संदर्शिका:** इस संदर्शिका को हाविद्यालयों के कार्यालय अधीक्षकों तथा लेखाकारों के प्रशिक्षणार्थ विकसित किया गया है।

10. **सम्बल:** यह ब्लाक संसाधन/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के समन्वयकों को अकादमिक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण संदर्शिका के रूप में विकसित की गई है।

11. **संयोजन:** यह संदर्शिका जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों के क्षमता संवर्द्धन हेतु विकसित की गई है। इसमें डायट के संकाय सदस्यों के कर्तव्य/उत्तरदायित्व और कार्यकलापों से संबंधित सभी प्रकरणों का समावेश है।

12. **संदर्शन:** यह संदर्शिका 'क्रियात्मक बोध' विषय पर तैयार की गई है। इसमें क्रियात्मक शोध की संकल्पना, समस्या की पहचान, परिकल्पनाओं का निर्माण क्रियान्वयन तथा आख्या लेखन आदि सभी महत्वपूर्ण पक्षों को सम्मिलित किया गया है।

13. **समर्थ:** यह संदर्शिका विशेष रूप से भारत के अन्य प्रदेशों के ब्लाक स्तरीय शिक्षा अधिकारियों के उपयोगार्थ विकसित की गई है। इसका विकास हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हुआ है।

14. **संदर्भ:** इस संदर्शिका का संबंध कार्यालय प्रबंधन से है। कार्यालय अधीक्षकों तथा अन्य कार्यालय कर्मियों के क्षमता संवर्द्धन हेतु इसमें उन सभी प्रकरणों को समाहित किया गया है जो प्रभावी कार्यालय प्रबंधन हेतु आवश्यक है।

15. **संबोध:** यह प्रशिक्षण संदर्शिका नगर शिक्षा अधिकारियों के क्षमता संवर्द्धन हेतु विकसित की गई है। इसमें नगर शिक्षा अधिकारियों की बहुआयामी भूमिका, नगरों में शिक्षा के सार्वभौमीकरण की विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों, अन्य विभागों से समन्वयन तथा नगरों में शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु नये सम्प्रत्यों/विचारों आदि को समाहित किया गया है।

16. "पहल" प्रशिक्षण साहित्य--शैक्षिक नेतृत्व एवं विद्यालय प्रबन्धन (उच्च प्राथमिक स्तर के प्रधानाध्यापकों के विशेष संदर्भ में)

17. **समृद्ध**–प्रशिक्षण साहित्य– समन्वयकों के दायित्व विस्तार प्रशिक्षण (उच्च प्राथमिक स्तर के बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के प्रयोगार्थ)

राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान की सहभागिता:

- शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन के वृहत्तर उद्देश्य को ध्यान में रखकर शैक्षिक नियोजन और प्रबन्धन के क्षेत्र में विशेष रूप से संस्थान सतत् सक्रिय है। इस प्रयोजन की पूर्ति हेतु संस्थान का संपर्क, समन्वय और सहभागिता राज्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय संगठनों/संस्थाओं तथा संस्थाओं से स्थापित हुआ है। इन संस्थानों द्वारा संचालित कार्यक्रमों में संस्थान अपने विशेषज्ञों के माध्यम से सहयोग देता है और उनके विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त करता रहता है। संस्थान की यह नेटवर्किंग जहाँ एक ओर इन विशिष्ट संस्थाओं/संस्थानों से है, वहीं जनपद/विकास खण्ड/संकुल/ग्राम स्तरीय संस्थाओं/ संस्थाओं से संस्थान जुड़ा हुआ है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर संस्थान का संजाल (नेटवर्क) इन्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग (आई.आई.ई.पी.) पेरिस, यूनाईटेड नेशन्स एजूकेशनल साइन्टिफिक एण्ड कल्चरल आर्गनाइजेशन (यूनेस्को), यूनाइटेड नेशन्स इन्टरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फण्ड (यूनिसेफ) विशेष रूप से दक्षिणी एशिया के देशों की शैक्षिक संस्थाओं/संस्थानों से स्थापित है।
- राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (नीपा), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) लालबहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी मंसूरी, (एल.बी.एस.एन.ए.ए.), नेशनल रिसर्च एण्ड रिसोर्स सेंटर (एन.आर.आर.सी.), इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आई.आई. एम.) आदि से संस्थान का निकट से संपर्क स्थापित है।
- राज्य स्तर के विश्वविद्यालयों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, प्रशासनिक अकादमी, स्टेट इन्स्टीट्यूट आफ रूरल डेवलमपेंट (सर्ड), लखनऊ तथा गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक संस्थान, इलाहाबाद आदि से संस्थान जुड़ा हुआ है।

- अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय अभिकरणों की विशेषता का लाभ संस्थान लेता रहता है। और संस्थान इन अभिकरणों को भी यथावश्यक तथा यथावांछित सहयोग प्रदान करता रहता है। विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम, क्षमता संवर्द्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षिक सम्मेलन/विचार गोष्ठीय/कार्यशालाएं इन संगठनों/अभिकरणों के पारस्परिक सहयोग से आयोजित होते रहते हैं। इसी प्रकार अनेक शोध अध्ययन, सर्वेक्षण, व्यक्ति अध्ययन (केस स्टडीज तथा क्रियात्मक अनुसंधान विभिन्न संस्थाओं के सम्मिलित प्रयास से संचालित होते हैं।
- वर्ष 2006–07 में अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ किए गए विशेष रूप से उल्लेखनीय कतिपय कार्यक्रम निम्नवत हैः–

स्कूल ग्रेडिंग :– इनोवेशन इन क्वालिटी मानीटरिंग

अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन संस्थान (आई.आई.ई.पी.) पेरिस तथा सीमैट के संयुक्त तत्वावधान में उत्तर प्रदेश में चार जनपदों को अध्ययन हेतु न्यादर्श कें रूप में लिया गया।

जनपद :– लखनऊ, इलाहाबाद, झाँसी, आगरा

- अध्ययन की प्रस्तुति निदेशक सीमैट द्वारा इण्डोनेशिया (जकार्ता) में माह नवम्बर 2007 में की गयी।

क्षेक गुणवत्ता संवर्द्धन परियोजनाः

यूनिसेफ के सहयोग और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट), उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा प्राथमिक स्तरीय कक्षाओं के छात्रों के प्रयोगार्थ कार्य पुस्तिकाओं का निर्माण किया गया। शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन के अनुक्रम में इस संस्थान द्वारा कक्षा 1–2 के लिए हिन्दी भाषा एवं गणित विषयों में और कक्षा 3,4,5 के लिए अंग्रेजी तथा गणित विषयों में कुल दस कार्य पुस्तिकाएँ (वर्क बुक्स) संरचित की गयी। प्रसंगाधीन कार्य पुस्तिकाओं का प्रमुख उद्देश्य अभ्यास कार्य द्वारा स्वयं सीखना तथा विषयगत दक्षताओं, कौशलों आदि का सुदृढ़ीकरण करना है। सम्प्रति सीमैट द्वारा नवविकसित इन कार्यपुस्तिकाओं का प्राथमिक स्तरीय कक्षाओं में शिक्षा की गुणवत्ता के समुन्नयन हेतु प्रयोग किया जा रहा है।

तालिका–1
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या

विद्यालय का स्तर	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1990–91	2000–01	2007–08*
1	2	3	4	5	6	7	8
प्राथमिक विद्यालय							
बालक	29459	35156	50503	78606	77111	86361	141058
बालिका	2520	4927	11624	मिश्रित	मिश्रित	मिश्रित	मिश्रित
योग	**31979**	**40083**	**62127**	**78606**	**77111**	**86361**	**141058**
उच्च प्राथमिक विद्यालय							
बालक	2386	3674	6779	10555	11753	16618	43874
बालिका	468	661	2008	3200	3319	3021	6817
योग	**2854**	**4335**	**8787**	**13555**	**15072**	**19639**	**50691**

तालिका–2
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं की संख्या

विद्यालय का स्तर	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1990–91	2000–01	2007–08*
1	2	3	4	5	6	7	8
प्राथमिक विद्यालय							
बालक	2392175	3170868	6748031	6593572	7893063	8076496	14243962
बालिका	334948	787660	3867691	2774829	4068501	4478442	12631438
योग	**2727123**	**3958528**	**10615722**	**9368401**	**11961564**	**12554938**	**26875400**
उच्च प्राथमिक विद्यालय							
बालक	278339	446139	1095740	1412783	2026314	2028155	5163119
बालिका	69798	103688	285166	391731	721254	910505	4224371
योग	**348137**	**549827**	**1380906**	**1804514**	**2747568**	**2938660**	**9387490**

* ऑकड़े अनुमानित है।

तालिका–3
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या

विद्यालय का स्तर	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1990–91	2000–01	2007–08*
1	2	3	4	5	6	7	8
प्राथमिक विद्यालय							
पुरूष	65110	87340	170857	203712	209120	222131	189396
महिला	5189	11714	32502	44042	57037	69799	126264
योग	**70299**	**99054**	**203359**	**247754**	**266157**	**291930**	**315660**
उच्च प्राथमिक विद्यालय							
पुरूष	11605	19057	41306	58775	79914	76992	79114
महिला	2900	4202	10880	14326	19415	21933	52742
योग	**14505**	**23259**	**52186**	**73101**	**99329**	**98925**	**131856**

* ऑकड़े अनुमानित है।

तालिका–4

30 सितम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार जनपदवार/मण्डलवार प्राथमिक विद्यालयों विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्या

क्र.सं.	जनपद	विद्यालयों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या		अध्यापकों की स्वीकृत पदों की संख्या		
			कुल	बालिका	कुल	पुरूष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गाजियाबाद	1755	345740	162498	3086	1852	1234
2.	गौतमबुद्ध नगर	711	205940	96792	1800	1080	720
3.	बुलन्दशहर	2295	589120	276886	4914	2948	1966
4.	मेरठ	1706	293550	137969	3626	2176	1450
5.	बागपत	705	142190	66829	1889	1133	756
	मेरठ मंडल	**7172**	**1576540**	**740974**	**15315**	**9189**	**6126**
6.	आगरा	4256	675650	317556	6331	3799	2532
7.	अलीगढ़	2991	434960	204431	5821	3493	2328
8.	एटा	2922	491060	230798	6426	3856	2570
9.	फिरोजाबाद	1789	298240	140173	3898	2339	1559
10.	मैनपुरी	2092	272430	128042	4285	2571	1714
11.	मथुरा	2162	348390	163743	5425	3255	2170
12.	हाथरस	1342	234090	110022	2902	1741	1161
	आगरा मंडल	**7554**	**2754820**	**1294765**	**35088**	**21053**	**14035**
13.	बरेली	3015	480480	225826	6170	3702	2468
14.	बदायूँ	2667	528140	248226	5607	3364	2243
15.	पीलीभीत	1619	328510	154400	2992	1795	1197
16.	शाहजहांपुर	2764	456600	214602	5488	3293	2195
	बरेली मंडल	**10065**	**1793730**	**843053**	**20257**	**12154**	**8103**
17.	इलाहाबाद	3233	779080	366168	7250	4350	2900
18.	कौशाम्बी	925	286130	134481	2610	1566	1044
19.	फतेहपुर	2051	370300	174041	6141	3685	2456

20.	प्रतापगढ़	2082	468370	220134	5806	3484	2322
	इलाहाबाद मंडल	**8291**	**1903880**	**894824**	**21807**	**13084**	**8723**
21.	वाराणसी	1434	420730	197743	5762	3457	2305
22.	चन्दौली	1092	263900	124033	3779	2267	1512
23.	गाजीपुर	2374	596400	280308	5431	3259	2172
24.	जौनपुर	2675	701370	329644	7395	4437	2958
	वाराणसी मण्डल	**7575**	**1982400**	**931728**	**22367**	**13420**	**8947**
25.	मिर्जापुर	2028	339550	159589	3627	2176	1451
26.	सोनभद्र	1249	262630	123436	2163	1298	865
27.	संत रविदास नगर	824	253770	119272	3227	1936	1291
	मीरजापुर मंडल	**4101**	**855950**	**402297**	**9017**	**5410**	**3607**
28.	लखनऊ	2185	391760	184127	3873	2324	1549
29.	सीतापुर	2988	603090	283452	7452	4471	2981
30.	खीरी	2549	583730	274353	5412	3247	2165
31.	हरदोई	3181	610630	286996	6620	3972	2648
32.	उन्नाव	2524	422090	198382	5249	3149	2100
33.	रायबरेली	2243	436840	205315	6304	3782	2522
	लखनऊ मण्डल	**15670**	**3048140**	**1432626**	**34910**	**20946**	**13964**
34.	गोरखपुर	2504	614170	288660	7917	4750	3167
35.	महराजगंज	1469	362600	170422	3427	2056	1371
36.	देवरिया	2314	458950	215707	5515	3309	2206
37.	कुशीनगर	2064	548100	257607	5045	3027	2018
	गोरखपुर मंडल	**8351**	**1983820**	**932395**	**21904**	**13142**	**8762**
38.	बस्ती	2074	300680	141320	4242	2545	1697
39.	संत कबीर नगर	1458	178160	83735	2486	1492	994
40.	सिद्धार्थ नगर	2470	333580	156783	3927	2356	1571
	बस्ती मंडल	**6002**	**812420**	**381837**	**10655**	**6393**	**4262**
41.	झांसी	1824	263360	123779	3513	2108	1405

42.	जालौन	2176	255870	120259	2822	1693	1129
43.	ललितपुर	999	196550	92379	1996	1198	798
	झांसी मंडल	**4999**	**715780**	**336417**	**8331**	**4999**	**3332**
44.	बांदा	1666	285470	134171	3814	2288	1526
45.	चित्रकूट	970	164710	77414	2257	1354	903
46.	हमीरपुर	1060	167340	78650	2069	1241	828
47.	महोबा	837	133480	62736	1767	1060	707
	चित्रकूट मंडल	**4533**	**751000**	**352970**	**9907**	**5944**	**3963**
48.	गोंडा	2200	480420	225797	4988	2993	1995
49.	बलरामपुर	1450	263530	123859	3260	1956	1304
50.	बहराइच	1834	458810	215641	5014	3008	2006
51.	श्रावस्ती	834	143780	67577	2301	1381	920
	देवीपाटन मंडल	**6318**	**1346540**	**632874**	**15563**	**9338**	**6225**
52.	फैजाबाद	1678	266070	125053	4074	2444	1630
53.	अम्बेदकर नगर	1593	312760	146997	3849	2309	1540
54.	सुल्तानपुर	2467	530090	249142	7091	4255	2836
55.	बाराबंकी	2238	495070	232683	5077	3046	2031
	फैजाबाद मंडल	**7976**	**1603990**	**753875**	**20091**	**12055**	**8036**
56.	मुरादाबाद	3842	696880	327534	8273	4964	3309
57.	जे.पी. नगर	1420	230010	108105	3388	2033	1355
58.	रामपुर	2006	280000	131600	4300	2580	1720
59.	बिजनौर	2872	605110	284402	4954	2972	1982
	मुरादाबाद मंडल	**10140**	**1812000**	**851640**	**20915**	**12549**	**8366**
60.	कानपुर नगर	2833	385930	181387	4120	2472	1648
61.	कानपुर देहात	1697	233040	109529	3667	2200	1467
62.	फर्रूखाबाद	1460	297180	139675	3583	2150	1433
63.	कन्नौज	1334	265400	124738	2836	1702	1134
64.	औरैया	1397	220540	103654	3512	2107	1405

65.	इटावा	1814	237770	111752	4401	2641	1760
	कानपुर मंडल	**10535**	**1639860**	**770734**	**22119**	**13271**	**8848**
66.	आजमगढ	2875	697040	327609	8733	5240	3493
67.	मऊ	1977	348370	163734	3847	2308	1539
68.	बलिया	2317	441580	207543	5643	3386	2257
	आजमगढ़ मंडल	**7169**	**1486990**	**698885**	**18223**	**10934**	**7289**
69.	सहारनपुर	1970	384730	180823	4245	2547	1698
70.	मुजफ्फर नगर	2637	422810	198721	4946	2968	1978
	सहारनपुर मंडल	**4607**	**807540**	**379544**	**9191**	**5515**	**3676**
	उत्तर प्रदेश	**141058**	**26875400**	**12631438**	**315660**	**189396**	**126264**

नोटः-- कतिपय जनपदों से वास्तविक आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण अनुमानित आंकड़े दर्शाये गये हैं।

तालिका–5

30, सितम्बर 2007 की स्थिति के अनुसार जनपदवार/मण्डलवार उच्च प्राथमिक विद्यालयों, विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्या

क्र0सं0	जनपद	विद्यालयों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या		अध्यापकों की स्वीकृत पदों की संख्या		
			कुल	बालिका	कुल	पुरूष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गाजियाबाद	656	139950	62978	1530	918	612
2.	गौतमबुद्ध नगर	314	85350	38408	903	542	361
3.	बुलन्दशहर	897	526190	236786	1970	1182	788
4.	मेरठ	828	103960	46782	2069	1241	828
5.	बागपत	215	55620	25029	548	329	219
	मेरठ मंडल	**2910**	**911070**	**409982**	**7020**	**4212**	**2808**
6.	आगरा	1233	334180	150381	2102	1261	841
7.	अलीगढ़	1020	158870	71492	2892	1735	1157
8.	एटा	963	198220	89199	3759	2255	1504
9.	फिरोजाबाद	541	136330	61349	1524	914	610
10.	मैनपुरी	698	80960	36432	1958	1175	783
11.	मथुरा	799	147690	66461	1942	1165	777
12.	हाथरस	527	97610	43925	2443	1466	977
	आगरा मंडल	**5781**	**1153860**	**519237**	**16620**	**9972**	**6648**
13.	बरेली	891	91280	41076	2123	1274	849
14.	बदांयू	816	100430	45194	1955	1173	782
15.	पीलीभीत	502	94700	42615	1779	1067	712
16.	शाहजहांपुर	753	102100	45945	2208	1325	883
	बरेली मंडल	**2962**	**388510**	**174830**	**8065**	**4839**	**3226**
17.	इलाहाबाद	1289	376620	169479	2802	1681	1121
18.	कौशाम्बी	452	84080	37836	1259	755	504
19.	फतेहपुर	788	108100	48645	1963	1178	785

20.	प्रतापगढ़	590	252480	113616	1851	1111	740
	इलाहाबाद मंडल	**3119**	**821280**	**369576**	**7875**	**4725**	**3150**
21.	वाराणसी	569	207340	93303	1886	1132	754
22.	चन्दौली	377	85220	38349	1287	772	515
23.	गाजीपुर	970	191380	86121	2054	1232	822
24.	जौनपुर	1145	219450	98753	2439	1463	976
	वाराणसी मण्डल	**3061**	**703390**	**316526**	7666	**4600**	**3066**
25.	मिर्जापुर	524	98970	44537	1658	995	663
26.	सोनभद्र	497	72100	32445	1447	868	579
27.	संत रविदास नगर	431	82790	37256	1381	829	552
	मीरजापुर मण्डल	**1452**	**253860**	**114237**	**4486**	**2692**	**1794**
28.	लखनऊ	871	141400	63630	1365	819	546
29.	सीतापुर	984	265900	119655	2766	1660	1106
30.	खीरी	1055	181840	81828	2974	1784	1190
31.	हरदोई	827	248860	111987	2882	1729	1153
32.	उन्नाव	1113	201530	90689	1879	1127	752
33.	रायबरेली	536	120950	54428	1507	904	603
	लखनऊ मण्डल	**5386**	**1160480**	**522216**	**13373**	**8024**	**5349**
34.	गोरखपुर	887	155210	69845	2610	1566	1044
36.	महराजगंज	768	65470	29462	1602	961	641
36.	देवरिया	933	215960	97182	2579	1547	1032
37.	कुशीनगर	575	244450	110003	1414	848	566
	गोरखपुर मंडल	**3163**	**681090**	**306491**	**8205**	**4923**	**3282**
38.	बस्ती	907	56340	25353	1850	1110	740
39.	संत कबीर नगर	270	53170	23927	828	497	331
40.	सिद्धार्थ नगर	869	72290	32531	1964	1178	786
	बस्ती मंडल	**2046**	**181800**	**81810**	**4642**	**2785**	**1857**

41.	झांसी	701	87580	39411	1654	992	662
42.	जालौन	1005	92790	41756	1680	1008	672
43.	ललितपुर	384	55360	24912	1399	839	560
	झांसी मंडल	**2090**	**235730**	**106079**	**4733**	**2840**	**1893**
44.	बांदा	647	65280	29376	2028	1217	811
45.	चित्रकूट	378	44870	20192	1260	756	504
46.	हमीरपुर	478	52040	23418	1069	641	428
47.	महोबा	403	35150	15818	1747	1048	699
	चित्रकूट मंडल	**1906**	**197340**	**88803**	**6104**	**3662**	**2442**
48.	गोंडा	892	104160	46872	1889	1133	756
49.	बलरामपुर	444	77680	34956	950	570	380
50.	बहराइच	844	60040	27018	2425	1455	970
51.	श्रावस्ती	377	24910	11210	1102	661	441
	देवीपाटन मंडल	**2557**	**266790**	**120056**	**6366**	**3820**	**2546**
52.	फैजाबाद	646	102470	46112	1641	985	656
53.	अम्बेडकर नगर	736	138150	62168	1322	793	529
54.	सुल्तानपुर	832	173800	78210	2266	1360	906
55.	बाराबंकी	716	156430	70394	1830	1098	732
	फैजाबाद मंडल	**2930**	**570850**	**256883**	**7059**	**4235**	**2824**
56.	मुरादाबाद	636	147730	66479	2608	1565	1043
57.	जे.पी. नगर	550	116570	52457	1475	885	590
58.	रामपुर	317	94890	42701	977	586	391
59.	बिजनौर	872	148520	66834	2189	1313	876
	मुरादाबाद मंडल	**2375**	**507710**	**228470**	**7249**	**4349**	**2900**
60.	कानपुर नगर	1148	169240	76158	2381	1429	952
61.	कानपुर देहात	600	114150	51368	1778	1067	711
62.	फर्रूखाबाद	844	77600	34920	1949	1169	780
63.	कन्नौज	639	127610	57425	1545	927	618
64.	औरैया	588	88330	39749	1569	941	628

65.	इटावा	841	82150	36968	2538	1523	1015
	कानपुर मंडल	**4660**	**659080**	**296586**	**11760**	**7056**	**4704**
66.	आजमगढ़	1164	201040	90468	2674	1604	1070
67.	मऊ	436	75690	34061	1282	769	513
68.	बलिया	978	155290	69881	2306	1384	922
	आजमगढ़ मंडल	**2578**	**432020**	**194409**	**6262**	**3757**	**2505**
69.	सहारनपुर	821	135650	61043	1906	1144	762
70.	मुजफ्फर नगर	894	126980	57141	2465	1479	986
	सहारनपुर मंडल	**1715**	**262630**	**118184**	**4371**	**2623**	**1748**
	उत्तर–प्रदेश	**50691**	**9387490**	**4224371**	**131856**	**79114**	**52742**

नोट– कतिपय जनपदों से वास्तविक आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण अनुमानित आंकड़े दर्शाये गये हैं।

तालिका – 6

प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत पदों की स्थिति

अनुदान संख्या –71 लेखा शीर्षक 2202

क्र.सं.	विभिन्न पदों के पदनाम	1.4.2007 को विद्यमान स्वीकृत पद स्थायी	अस्थायी	कुल पद	कुल भरे पद	अन्तिम विहित वेतनमान (रूपये)
1	2	4	5	6	7	8
आयोजनागत / राजपत्रित						
1	बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	16	16	16	8000–13500
2	लेखाधिकारी	–	5	5	5	8000–13500
3	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	10	10	10	6500–10500
	योग आयोजनागत / राजपत्रित	–	31	31	31	
आयोजनेत्तर / राजपत्रित						
4	शिक्षा निदेशक (बेसिक)	1	–	1	1	18400–22400
5	वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा	1	–	1	1	16400–20000
6	अपर शिक्षा निदेशक (बे0) / शिविर	2	–	2	2	14300–18300
7	संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला)	1	–	1	1	12000–16500
8	संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक)	1	–	1	1	12000–16500
9	उप शिक्षा निदेशक, (अर्थ / विज्ञान / प्राइमरी) सेवायें –2	5	–	5	5	10000–15200
10	मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)	3	9	12	12	10000–15200
11	पाठ्य पुस्तक अधिकारी	1	–	1	1	10000–15200
12	निबन्धक, विभागीय परीक्षायें	1	–	1	1	10000–15200
13	सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद इला0	1	–	1	1	10000–15200
14	संयुक्त सचिव बे0शि0प0	1	–	1	1	10000–15200
15	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	47	7	54	54	8000–13500
16	स0उ0शि0नि0 / सा0 / सेवायें / विज्ञान	2	1	3	3	8000–13500
17	सांख्यिकीय अधिकारी, शिक्षा निदेशालय उ0प्र0, इलाहाबाद	1	–	1	1	8000–13500

18	लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा	48	5	53	48	8000–13500
19	उप पाठ्य पुस्तक अधिकारी	1	–	1	1	8000–13500
20	उप सचिव, बे0शि0प0,उ0प्र0	1	–	1	1	8000–13500
21	उप बे0शि0अधिकारी	144	13	157	123	6500–10500
22	सहा0अधि0 पाठ्यपुस्तक	1	–	1	1	6500–10500
23	उत्पादन अधि0 पाठ्यपुस्तक	1	–	1	1	6500–10500
24	उप रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें	1	–	1	1	6500–10500
25	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा परिषद	2	–	2	2	10000–15200
26	वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा परिषद	4	–	4	4	8000–13500
27	वरिष्ठ वित्त एवं लेखधिकारी शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 इलाहाबाद	1	–	1	1	10000–15200
28	वित्त एवं लेखाधिकारी शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 इलाहाबाद	1	–	1	1	8000–13500
29	सहायक लेखाधिकारी, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 इलाहाबाद	1	–	1	1	6500–10500
30	बै0 सहायक, शि0निदेशालय (बे0)	–	1	1	1	8000–13500
31	सहायक शिक्षा निदेशक, सेवा–2/प्राइमरी/सामाजिक शिक्षा	–	3	3	3	10000–15200
	योग आयोजनेत्तर/राजपत्रित	**274**	**39**	**313**	**274**	
आयोजनागत/अराजपत्रित						
लेखा संगठन जनपदीय						
32	लेखाकार	–	10	10	10	5000–8000
33	सहायक लेखाकार	–	10	10	10	4000–6000
34	वरिष्ठ सम्प्रेक्षक	–	5	5	5	5000–8000
35	कनिष्ठ सम्प्रेक्षक	–	10	10	10	4000–6000
36	कनिष्ठ लेखा लिपिक	–	10	10	10	3050–4590
37	टंकक लिपिक	–	5	5	5	3050–4590
38	परिचारक	–	10	10	10	2550–3200
39	वरिष्ठ सहायक/प्रधन लिपिक	–	5	5	5	4500–7000

165 शिक्षा 12

	कार्यालय वि0वि0 शिक्षा अधि0					
40	आशुलिपिक	–	3	3	3	4000–6000
41	वरिष्ठ लिपिक	–	8	8	8	4000–6000
42	कनिष्ठ लिपिक	–	12	12	12	3050–4590
43	ड्राइवर	–	12	12	12	3050–4590
44	अर्दली / चपरासी / चौकीदार	–	25	25	25	2550–3200
	योग योजनागत / अराजपत्रित	**–**	**125**	**125**	**125**	
आयोजनेत्तर अराजपत्रित						
45	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शिक्षा निदेशालय	1	–	1	1	6500–10500
46	प्रशासनिक अधिकारी शिक्षा निदेशालय	4	–	4	3	5500–9000
47	वै0सहा0 / आशुलिपिक संवर्ग	2	–	2	2	6500–10500
48	साहि0 सहायक, पाठ्यपुस्तक	6	–	6	6	5500–8650
49	आशुलिपिक, पाठ्यपुस्तक	2	–	2	2	4000–6000
50	लेखाकार, बेसिक शिक्षा	153	–	153	153	5000–8000
51	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, शिक्षा निदेशालय	128	–	128	128	5000–8000
52	अधीक्षक –II, शि0 निदेशालय	23	–	23	19	5000–8000
53	अधीक्षक –II, पाठ्यपुस्तक	1	–	1	1	5000–8000
54	सहायक रजिस्ट्रार वि, परीक्षायें	1	–	1	1	5000–8000
55	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, बे.शि.	48	–	48	48	5000–8000
56	वैयक्तिक स.रा.शै.अनु0 प्रशि0 परि.	1	–	1	1	5500–9000
57	प्रूफरीडर, पाठ्यपस्तक	1	–	1	1	4500–7000
58	जूनि0 साहि0 सहा0, पाठ्यपुस्तक	1	–	1	1	4500–7000
59	चित्रकार, पाठ्यपुस्तक	1	–	1	1	4500–7000
60	वरिष्ठ सहायक, पाठ्यपुस्तक	7	–	7	7	4500–7000
61	पुस्तकालय सहा, पाठ्यपुस्तक	1	–	1	1	4500–7000
62	वरिष्ठ सहायक रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें	13	–	13	12	4500–7000

63	प्रति. उप विद्यालय निरीक्षक / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी	1190	170	1360	1100	4500–7000
64	वरिष्ठ लिपिक, शि0नि0	63	4	67	67	4000–6000
65	कनिष्ठ लेखा परीक्षक, शि0नि0	35	--	35	35	4000–6000
66	पुस्तकालयाध्यक्ष, शि0नि0अधीनस्थ कार्यालय	९	149	158	158	4500–7000
67	वरिष्ठ सहायक, शिक्षा निदेशालय	57	11	68	68	4500–7000
68	पुस्तकालय सहायक, शि0नि0	1	–	1	1	4500–7000
69	सहायक लेखाकार, बे0शि0	106	–	106	106	4000–6000
70	सहायक लेखाकार, बे0शि0	4	–	4	4	4000–6000
71	वरिष्ठ लिपिक, रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें	27	–	27	21	4000–6000
72	आशुलिपिक, शि0नि0	5	–	5	5	5000–8000
73	आशुलिपिक, शि0नि0	15	–	15	4	4000–6000
74	कनिष्ठ लेखा परीक्षक बे0शि0	96	–	96	96	4000–6000
75	कनिष्ठ लिपिक शि0नि0	76	3	79	77	3050–4590
76	उर्दू / अनुवादक / कनिष्ठ लिपिक शि0नि0	–	1	1	1	3050–4590
77	ड्राइवर शि0नि0	5	–	5	5	3050–4590
78	कनिष्ठ लिपिक / टंकक वे0शि0	182	–	182	182	3050–4590
79	कनिष्ठ लिपिक / टंकक वे0शि0	106	–	106	106	3050–4590
80	कनिष्ठ लिपिक, पाठ्यपुस्तक	5	–	5	–	3050–4590
81	कनिष्ठ लिपिक, रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें	14	–	14	14	3050–4590
82	बुक बाइण्डर, पाठ्य पुस्तक	1	–	1	1	3050–4590
83	दफ्तरी, पाठ्य पुस्तक	2	–	2	1	2610–3540
84	दफ्तरी, रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें	6	–	6	6	2610–3540
85	चिन्तक, शि0नि0	1	–	1	1	2610–3540
86	जमादार, शि0नि0	1	–	1	1	2610–3540
87	दफ्तरी, शि0नि0	9	–	9	4	2610–3540
88	चपरासी	59	–	59	59	2550–3200

89	अर्दली / चपरासी बे0शि0	159	–	159	159	2550–3200
90	चपरासी, पाठ्यपुस्तक	9	–	9	9	2550–3200
91	परिचारक, रजिस्ट्रार, वि0परी0	6	–	6	6	2550–3200
92	चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, बे0शि0	144	–	144	144	2550–3200
93	स्टोरकीपर / कैशियर	–	1	1	1	3200–4900
94	साहि0 सहायक	6	–	6	6	6500–10500
95	प्रूफ रीडर	1	–	1	1	5000–8000
96	बुक बाइण्टर	1	–	1	1	2610–3540
97	आर्टिस्ट	1	–	1	1	4500–7000
98	जूनियर साहि0सहायक	1	–	1	1	5500–8650
99	लेखाकार, बे0शि0ले0 संगठन	9	–	9	9	5000–8000
100	सहायक लेखाकार, बे0शि0प0ले0सेवा संगठन	10	–	10	10	4000–6000
101	वरिष्ठ लेखा लिपिक, बे0शि0प0	8	–	8	8	4000–6000
102	आशुलिपिक	2	–	2	2	4000–6000
103	कनिष्ठ लिपिक	2	–	2	2	3050–4590
104	ड्राइवर	1	–	1	1	3050–4590
105	दफ्तरी	1	–	1	1	2610–3540
106	चपरासी	1	–	1	1	2550–3200
107	वरिष्ठ सहायक, अधीनस्थ कार्यालय	80	74	154	154	4500–7000
108	वरिष्ठ लिपिक	300	85	385	385	4000–6000
109	कनिष्ठ लिपिक	300	148	448	448	3050–4590
110	आशुलिपिक अधीनस्थ कार्या0	5	–	5	3	4000–6000
111	आशुलिपिक अधीनस्थ कार्या0	89	–	89	69	4000–6000
112	ड्राइवर, अधीनस्थ कार्यालय	70	36	106	86	3050–4590
113	दफ्तरी, अधीनस्थ कार्यालय	300	47	347	335	2610–3540
114	चपरासी / अर्दली / चौकीदार अधीनस्थ कार्यालय	2100	138	2238	2197	2550–3200
	योग आयोजनेत्तर अराजपत्रित	**6075**	**867**	**6942**	**6558**	
	महायोग राजपत्रित	**274**	**70**	**344**	**305**	
	महायोग अराजपत्रित	**6075**	**992**	**7067**	**6683**	
	महायोग	**6349**	**1062**	**7411**	**6988**	

वेतन क्रमानुसार पदों का विवरण

क्रमसंख्या	वेतनमान (रू0)	स्वीकृत पद संख्या
1	18400--22400	1
2	16400--20000	1
3	14300--18300	2
4	12000--16500	2
5	10000--15200	27
6	8000--13500	140
7	6500--10500	180
8	5500--9000	5
9	5500--8650	7
10	5000--8000	384
11	4500--7000	1771
12	4000--6000	882
13	3200--4900	1
14	3050--4590	989
15	2610--3540	368
16	2550--3200	2651
	योग	7411

NUEPA DC
D14480

National University of Educational Planning and Administration
Acc. No. D-14480
Date : 19-7-2013
Documentation Centre

पी0 एस0 यू0 पी0--165 शिक्षा--11-2-2008--1,400 प्रतियाँ (डी0 टी0 पी0/आफसेट)।